वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

COMPANIES ACT 2013

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

MCA21
Ministry of Corporate Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

वार्षिक प्रतिवेदन

2018–19

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
अध्याय–I पुनरावलोकन	1–4
अध्याय–II संगठनात्मक ढांचा और कार्य	5–15
अध्याय–III कंपनी अधिनियम और इसका प्रशासन	17–26
अध्याय–IV सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008	27–29
अध्याय–V प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और अन्य कानून	31–38
अध्याय–VI परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर	39–58
अनुलग्नक (I से VI)	61–80

महत्वपूर्ण संक्षिप्ति

क्र.सं.	शब्द	पूरा रूप
1.	एएआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अधिकरण
2.	बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
3.	बीओओटी	निर्माण, स्वामित्व प्रचालन और अंतरण
4.	बीआईएसी	बांग्लादेश इंटरनेशनल आरबिटरेशन सेंटर
5.	बीआईबीएफ	बहरीन इंस्टीट्यट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस
6.	बीएमसीपीएल	ब्रिज मेडिएशन एंड कंस्लटिंग प्राइवेट लिमिटेड
7.	सीडीएम	कारपोरेट डाटा प्रबंधन
8.	सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
9.	सीओआई	निगमन प्रमाण पत्र
10.	सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीय लोक शिकायत समाधान और निगरानीप्रणाली
11.	सीएलबी	कंपनी विधि बोर्ड
12.	सीपीए	प्रमाणित लोक लेखे
13.	सीपीएंडएस	समुदाय, वैयक्तिक और सामाजिक सेवाएं
14.	सीआरसी	केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र
15.	सीएससी	सिविल सेवा केंद्र
16.	सीएसआर	कारपोरेट सामाजिक दायित्व
17.	सीएससीएस	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा
18.	सीएसओएल	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा
19.	सीएसएसएस	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा
20.	सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
21.	डीजीसीओए	महानिदेशक कारपोरेट कार्य
22.	डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
23.	एफसी	विदेशी कंपनियां

क्र.सं.	शब्द	पूरा रूप
24.	जीपीआर	सरकारी प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग
25.	आईएपी	निवेशक जागरूकता कार्यक्रम
26.	आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
27.	आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
28.	आईसीएआई	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
29.	आईसीएआई	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
30.	आईसीएलएस	भारतीय कारपोरेट विधि सेवा
31.	आईसीएन	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क
32.	आईसीएसआई	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
33.	आईईपीएफ	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि
34.	आईईपीएफए	विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण
35.	आईसीपीकेए	इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टीफाइड पब्लिक अकाउंट्स केन्या
36.	आईजीएमसी	निवेशक शिकायत निवारण प्रबंधन केन्द्र
37.	एलएलपी	सीमित दायित्व भागीदारी
38.	एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
39.	एमआरए	पारस्परिक पहचान समझौता
40.	एमएंडक्यू	खनन और उत्खनन
41.	एमओए	संगम अनुच्छेद
42.	एमओयू	संगम ज्ञापन
43.	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
44.	एनबीएए	राष्ट्रीय लेखाकार और लेखापरीक्षक बोर्ड
45.	एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण
46.	एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
47.	एनईजीपी	राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना

क्र.सं.	शब्द	पूरा रूप
48.	एनएफआरए	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
49.	एनएफआरएए	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील प्राधिकरण
50.	ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
51.	ओएल	शासकीय समापक
52.	ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
53.	ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन
54.	ओपीसी	एकल व्यक्ति कंपनी
55.	पीआई	व्यवसायिक संस्थान
56.	आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
57.	आरसीसी	कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण और समापन
58.	आरईएंडआर	स्थावर संपदा और किराया
59.	आरओसी	कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय
60.	आरडी	क्षेत्रीय निदेशक
61.	सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
62.	एसएफआईओ	गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय
63.	एसपीआईसीई	कंपनियों के निगमन हेतु सरलीकृत प्ररूप
64.	एसओसीपीए	साउदी आर्गनाईजेशन फोर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेट्स
65.	टीएस एण्ड सी	परिवहन भंडारण एवं संचार

अध्याय–I

पुनरावलोकन

1.1.1 इस मंत्रालय के अधिदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु कानूनों की वृहत संख्या का प्रशासन शामिल है जो कि इस प्रकार हैं:–

कंपनी अधिनियम, 2013

(i) कंपनी अधिनियम, 1956,

(ii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008,

(iii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002,

(iv) दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016,

(v) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949,

(vi) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959,

(vii) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980,

(viii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (केन्द्र शासित क्षेत्रों में)

(ix) कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

कार्य

1.2.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिसूचित प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 के उन प्रावधानों का प्रशासन जो अभी भी लागू हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 को अधिसूचित करना।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा शासित विभिन्न अधिनियमों के अधीन नियम और विनियमन तैयार करना।

(iv) भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के साथ समाभिरूपन।

(v) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम का कार्यान्वयन।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में ई–गवर्नेंस का कार्यान्वयन।

(vii) कारपोरेट कार्य प्रणाली में अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रणाली स्थापित करना।

(viii) निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

(ix) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से गंभीर कपट का पता लगाना।

(x) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) का प्रबंधन।

(xi) संबद्ध संगठनों जैसे आईआईसीए, एसएफआईओ, सीसीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी और आईबीबीआई को प्रशासनिक सहायता देना।

महत्वपूर्ण नीति विकास

कंपनी अधिनियम, 2013

1.3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 दिनांक 30 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया जिसमें बेहतर अनुपालन के लिए अधिक पारदर्शिता और अधिक

प्रकटीकरण अनिवार्य करते हुए कारपोरेट क्षेत्र को स्व–नियमन का अवसर दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 में 470 धाराएं थीं। आज की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 की एक धारा अर्थात् धारा 465 के अलावा अन्य सभी धाराएं अधिसूचित कर दी गई है। धारा 2(खंड 67(ix)) और धारा 230(उपधारा 11 और 12) के भाग को प्रवृत्त किया जाना है।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017

1.3.2 भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 03 जनवरी, 2018 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017 को स्वीकृति दी गई थी और इसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 [सीएए–17, के रूप में अधिनियमित किया गया था। सीएए–17 में कुल 93 धाराएं हैं। आज की तारीख तक कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की कुल 93 धाराओं में से 92 धाराओं को संगत नियमों सहित प्रवृत्त कर दिया गया है। सीएए–17 की एक धारा (निधियों से संबंधित धारा 81) को प्रवृत्त करने और धारा 23 और 80 के कुछ भागों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अधिसूचित तीन नियमावलियों और प्ररूपों में संशोधन अपेक्षित है जिसके लिए मंत्रालय में जांच करना अपेक्षित है और इसमें कुछ और समय लगने की संभावना है। मंत्रालय, 31 दिसंबर, 2018 तक सीएए–17 की धारा 81 और इस अधिनियम की धारा 23 के भाग को संगत नियमों के साथ अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखता है।

1.3.3 समिति द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के अधीन अपराधों की समीक्षा करना

(क) एमसीए द्वारा जुलाई, 2018 में कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे संबंधित मामलों के अधीन अपराधों से निपटने के लिए विद्यमान ढांचे की समीक्षा करने हेतु गठित समिति ने 27 अगस्त, 2018 को माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने, अन्य बातों के साथ–साथ यह सिफारिश की है कि गंभीर अपराधों के लिए कानून की विद्यमान सख्ती जारी रहेगी जबकि विशेष रूप से तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों को आंतरिक(इन–हाउस) न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में अंतरित किया जा सकता है। सरकार ने, समिति की सिफारिशों के आधार पर और व्यवासय करने में आसानी और बेहतर कारपोरेट अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस अध्यादेश के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। तद्नुसार, 02 नवंबर, 2018 को कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का प्रख्यापन किया गया। इस अध्यादेश के मुख्य संशोधन निम्नलिखित हैः–

I. 16 प्रकार के कारपोरेट अपराधों के क्षेत्राधिकार को विशेष न्यायालयों से आंतरिक (इन–हाउस) न्यायनिर्णयन में अंतरित करना, जिससे विशेष न्यायालयों पर मामलों के भार को 60% तक कम करने की अपेक्षा की जाती है जिससे यह न्यायालय गंभीर कारपोरेट अपराधों पर अधिक ध्यान दे सके। इस संशोधन के परिणामस्वरूप वर्तमान में इन–हाउस न्यायनिर्णयन की सीमा अधिनियम की 18 धाराओं से 34 धाराओं तक पहुंच गई है।

II. छोटी कंपनियों और एकल व्यक्ति कंपनियों पर लगने वाली शास्ति को सामान्य कंपनियों पर लागू होने वाली शास्ति से घटाकर आधा कर दिया गया है।

III. किसी ऑनलाइन मंच पर पारदर्शी एवं तकनीकी इन–हाउस न्यायनिर्णयन तंत्र संस्थापित करना और वेबसाइट पर आदेशों का प्रकाशन करना।

IV. शास्ति लगाते समय चूक को ठीक करने के लिए सहवर्ती आदेश को आवश्यक बनाने के माध्यम से इन–हाउस न्यायनिर्णयन तंत्र को सुदृढ़ बनाना, जिससे बेहतर अनुपालन प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

V. निम्नलिखित द्वारा एनसीएलटी की बाधाओं को हटानाः

क) अधिनियम की धारा 441 के अधीन 5 लाख रुपये की पूर्व सीमा को 25 लाख रुपये की सीमा तक बढाते हुए क्षेत्रीय निदेशक की धन संबंधी क्षेत्राधिकार को बढानाय

ख) धारा 2(41) के अधीन केंद्रीय सरकार को किसी कंपनी के वित्तीय वर्ष में संशोधन के लिए अनुमोदन का अधिकार देनाय

ग) केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक कंपनियों से निजी कंपनियों में अंतरण करने के मामलों के लिए अनुमोदन का अधिकार देना।

VI. कारपोरेट अनुपालन और कारपोरेट शासन संबंधी संशोधनों में 'शैल कंपनियों' के खतरे से बेहतर रूप से निपटने के लिए व्यवसाय प्रावधान आरंभ करने की घोषणा की पुनःप्रस्तावनाय प्रभारों के सृजन, संशोधन और तुष्टि संबंधी दस्तावेजों को फाइल करने के संबंध में अधिक उत्तरदायित्वय गैर–रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रजिस्ट्रीकृत कार्यालयों का गैर–रखरखावय और ऐसे निदेशकों की अनर्हता की शुरूआत हेतु स्वीकृत सीमा से अधिक की निदेशकता रखना शामिल है।

(ख) मंत्रालय, संसद के शीतकालीन सत्र (2018) में कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रतिस्थापन विधेयक (अर्थात् कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018) के पुरस्थापन के प्रस्ताव को रखता है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिरकण

1.3.4 कंपनी अधिनियम, 2013 का एक मुख्य प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्थापना से संबंधित है। एनएफआरए की स्थापना, लेखांकन घोटालों के कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्राधिकारों में और स्वतंत्र नियामक, जो इसे नियंत्रित करने वालो से स्वतंत्र होंगे, की स्थापना की आवश्यकता के कारण हुई थी, जिससे लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता, लेखापरीक्षकों की गुणवत्ता को सुदृढ़ किया जा सके जिससे लेखापरीक्षा मानक का प्रवर्तन किया जा सके और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और इसके फलस्वरूप कंपनी के वित्तीय प्रकटीकरण में निवेशक और सार्वजनिक विश्वास को बढाया जा सके। सरकार ने इस प्राधिकरण का गठन किया है और एनएफआरए (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियम, 2018 और एनएफआरए नियम, 2018 को विनिर्दिष्ट किया है। 01 अक्तूबर, 2018 को श्री आर. श्रीधरन और डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी को एनएफआरए के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

1.3.5 कारपोरेट ढांचे में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से और विशेष रूप से केवाईसी और निवेशक संरक्षण के माध्यम से, प्रतिभूतियों के अभौतिकीकरण के फायदों, सरकार का 'डिजीटल इंडिया' पर विशेष ध्यान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 29(1)(ख) के अधीन उपलब्ध समर्थनकारी उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय में संगत नियमों को संशोधित किया गया है जिससे सूचीबद्ध कंपनियों के अतिरिक्त, असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों पर अभौतिकीकरण अपेक्षा को लागू किया जा सके। इस संबंध में सभी हितधारकों से विचार–विमर्श किया गया और 10 सितंबर, 2018 को नियमों में संशोधन किया गया जिससे 02 अक्तूबर, 2018 से असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा केवल डीमैट प्ररूप में प्रतिभूतियों को जारी करने और अंतरण की आवश्यकता को अनिवार्य किया जा सके।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

1.4.1 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों से उत्पन्न होने वाली अपीलों से निपटने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के अधीन 01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 1933(अ) द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण आईबीसी, 2016 की धारा 61, 202 और 211 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण 26 मई, 2017 से वित्तीय अधिनियम की धारा 172 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 में किए गए संशोधनों के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश या दिए गए निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई और उनके निपटान के लिए भी अपील अधिकरण है।

1.4.2 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने 893 मामलों का निपटान किया है और 31 अक्तबूर, 2018 की स्थिति के अनुसार 620 मामले लंबित हैं।

अध्याय–II

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

प्रशासनिक ढांचा

2.1.1 मंत्रालय का तीन स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है जिसमें नई दिल्ली स्थित मुख्यालय, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली और शिलांग में सात क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयय पंद्रह कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी); मानेसर स्थित एक केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी); नौ कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालय और चौदह शासकीय समापक कार्यालय हैं। मानेसर (गुरुग्राम) स्थित केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना 26 जनवरी, 2016 को की गई है। उपर्युक्त कार्यालयों/स्थापनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पैरा में दिया गया है।

मुख्यालय

2.2.1 मुख्यालय के प्रशासनिक ढांचे में एक सचिव, एक विशेष सचिव/अपर सचिव, एक महानिदेशक, कारपोरेट कार्य (डीजीसीओए), एक अपर सचिब एवं वित्तीय सलाहाकर, एक आर्थिक सलाहकार, एक लागत सलाहकार, दो निदेशक निरीक्षण एवं जांच, उप महानिदेशक और प्रशासनिक, विधि, लेखांकन, आर्थिक और सांख्यिकी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले अन्य अधिकारी हैं। इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक–I** में दी गई है।

क्षेत्रीय निदेशक

2.2.2 क्षेत्रीय निदेशक अपने–अपने क्षेत्राधिकार में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। इन कार्यालयों का मुख्य कार्य तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों को परामर्श तथा दिशानिर्देश देना, सरकार को विशेष रूप से कंपनियों के कार्यकलापों और परिचालनों के संबंध में सूचित करना तथा अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कंपनी अधिनियम के प्रशासन संबंधी मामलों में संपर्क के रूप में कार्य करना है। क्षेत्रीय निदेशकों को कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन सीधे ही कुछ कार्य करने और उनका निपटान करने की शक्तियाँ भी दी गई हैं।

केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी)

2.2.3 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकारी प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग (जीपीआर) में पहल–प्रयास करते हुए "नाम उपलब्धता" (आईएनसी–01) और "निगमन" (आईएनसी–02/07/29) ई–प्ररूपों पर कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना की है। जीपीआर प्रक्रिया इस मंत्रालय के कारपोरेट को "व्यापार करने की आसानी" में मदद करने के उद्देश्य के अनुसरण में है और इससे निगमन से संबंधित आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई होने, नियमों के विनियोग में एकरूपता आने और पक्षपात दूर होने की आशा है। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए गहन मॉनीटरिंग की जा रही है जिसका उद्देश्य उक्त ई–प्ररूपों की कार्रवाई एक से दो कार्य दिवसों में पूरी करना है।

कंपनी रजिस्ट्रार

2.2.4 कंपनी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति इस अधिनियम की धारा 396 के अधीन की जाती है। रजिस्ट्रार, सीआरसी को छोड़कर अन्य सभी कंपनी रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों और उनके

अधीन बनाए गए नियमों, जो निगमन के बाद प्रासंगिक होंगे, के लिए रजिस्ट्रार, सीआरसी द्वारा निगमित कंपनियों सहित सभी कंपनियों पर अधिकार क्षेत्र रखना जारी रखेंगे। कारपोरेट कार्य मंत्रालय संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

शासकीय समापक

2.2.5 शासकीय समापक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 359 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के सदृश) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं और ये विभिन्न क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समापन से संबंधित धारा तथा अन्य प्रावधान 15 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त किए गए। संबंधित क्षेत्रीय निदेशक केन्द्र सरकार की ओर से इनके कार्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं। शासकीय समापक कंपनियों के समापन मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्देशों और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं।

2.2.6 दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कारपोरेट दिवाला के प्रावधानों का अधिनियमन और इसके प्रवृत्त होने के साथ तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में समापन से संबंधित कुछ प्रावधानों के पश्चातवर्ती संशोधन और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समापन से संबंधित लंबित कार्यवाही का उच्च न्यायालय से अंतरण करने के नियम अधिसूचित हो जाने के परिणामस्वरूप शासकीय समापकों को 01 दिसंबर, 2016 से नए मामले नहीं सौंपे जाएगें। इस प्रकार के मामलों का निपटान आईबीसी, 2016 की धारा 7, 8 या 9 के अधीन दिवाला समाधान से किया जाएगा और यदि दिवाला समाधान प्रक्रिया असफल रहती है तो समापन कार्रवाई एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित दिवाला व्यावसायिकों द्वारा की जाएगी।

2.2.7 शासकीय समापकों के दायित्व और अधिकार मुख्य रूप से कंपनी को देय ऋण की वसूली हेतु ऋणदाताओं के विरूद्ध दावें फाइल करनाय शासकीय समापक द्वारा कब्जा ली गई कंपनी की चल और अचल आस्तियों की बिक्री; कंपनी के पूर्व निदेशकों के कृत्यों और त्रुटियों तथा विश्वासभंग के लिए अपराधिक शिकायतें और कदाचार कार्रवाई शुरू करनेय लेनदारों/श्रमिकों से दावे मंगाने; दावों का न्यायनिर्णयन और लेनदारों की सूची निर्धारित करनाय लेनदारों को लाभांश के माध्यम से भुगतान करना और अंशदाताओं (अर्थात् वह व्यक्ति जिसे परिसमापन होने की दशा में कंपनी की आस्तियो में अंशदान करना है) की सूची निर्धारित करने, जहां कहीं आवश्यक हो; और यदि कंपनी की आस्तियां उसकी देयता से अधिक है तो पूंजी की वापसी का भुगतान करना और अंततः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 के अधीन कंपनी का विघटन करने से संबंधित है।

मुख्यालय में संगठनात्मक ढांचा

2.3.1 कंपनी अधिनियम और इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित अन्य अधिनियमों के प्रशासनधनियमन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में विभिन्न प्रभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ हैं। कंपनी अधिनियम से संबंधित मामलों के प्रशासनिक ढांचे का ब्यौरा नीचे दिया गया है। कंपनी अधिनियम की कार्यप्रणाली और प्रशासन संबंधी मामलों का विवरण अध्याय–III में दिया गया है और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम तथा प्रतिस्पर्धा अधिनियम से संबंधित विवरण क्रमशः अध्याय–IV और V में दिया गया है।

2.3.2 कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का प्रशासन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, संबंधित संयुक्त सचिवों, आर्थिक सलाहकार और लागत सलाहकार के पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न प्रभागों/अनुभागों/प्रकोष्ठों द्वारा किया जाता है। इन अनुभागों द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:

2.3.3 **कंपनी विधि-I अनुभाग** कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों के शासन संबंधी कानूनी

ढांचे से संबंधित विधायी प्रक्रियाओं तथा इनके अंतर्गत नियमों, विनियमों और परिपत्रों की अधिसूचना से संबंधित कार्य देखता है।

2.3.4 कंपनी विधि-II अनुभाग क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों, जांच प्रतिवेदनों और तकनीकी संवीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करता है। इन प्रतिवेदनों की जांच के पश्चात् अभियोजन के आदेश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुभाग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत धनराशि के दुरूपयोग अथवा अन्यत्र उपयोग से संबंधित शिकायतों और कंपनी के कुप्रबंधन आदि की जांच करता है।

2.3.5 कंपनी विधि-III अनुभाग (क) शेयरपूंजी में कटौती, (ख) तुलन पत्र और लाभ हानि विवरण का प्ररूप और विषयवस्तु, (ग) सरकारी कंपनियों के समामेलन/समझौतों की योजनाएं, (घ) कंपनियों के नाम के अनुमोदन और उनसे संबंधित मामलों के बारे में क्षेत्रीय निदेशकों/कंपनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त पत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) तथा (ड.) लाइसेंस प्रदान करने, ऐसे लाइसेंस रद्द करने, संगत ज्ञापन और अनुच्छेद में परिवर्तन, छूट देने और इस प्रकार की कंपनियों से संबंधित मामलों के लिए क्षेत्रीय निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त पत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8)।

2.3.6 कंपनी विधि-IV (विधायी) अनुभाग के प्रमुख कार्यों में ये कार्य शामिल हैं–

(क) पैरा–वार टिप्पणियों की जांच जिनमें भारत सरकार एक पक्ष है।

(ख) मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त अनुरोध पर सरकारी वकील नियुक्त करना।

(ग) उन सभी मुकद्दमों की मॉनिटरिंग जिनमें मंत्रालय एक पक्ष है।

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 (4) के अधीन केंद्र सरकार को किए गए आवेदनों/याचिकाओं की जांच, और

(ड़) मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों द्वारा मांगे जाने पर कानूनी परामर्श देना।

2.3.7 कंपनी विधि–V (नीति) अनुभाग मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समितियों और सचिवों की समिति के विचारार्थ नीतिगत मामलों से संबंधित कार्य करता है। यह अनुभाग संस्थानों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषित करने; पूंजी बाजार, सेबी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मनीलांड्रिंग, लेखांकन मानकों/आईएफआरएस के साथ समाभिरूण से संबंधित मुद्दों की देखरेख करता है। यह अनुभाग कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण/सरलीकरण जारी करता है। यह अनुभाग कारपोरेट विधि के कार्यान्वयन में सहायता करने वाली विभिन्न योजनाएं शुरू करने, ई–गवर्नेस प्ररूप, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों में समन्वय और सरकारी कंपनियों की वार्षिक आम बैठकों के आयोजन के स्थान में परिवर्तन आदि के लिए भी उत्तरदायी है।

2.3.8 कंपनी विधि–VI अनुभाग किसी कंपनी में प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति, यदि वह नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के भाग–I के अनुरूप न हो तो उससे संबंधित सांविधिक प्रयोज्यताओं की देखरेख करता है। यह अनुभाग कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 196, 197 के अधीन सूचीबद्ध कंपनियों और किसी सूचीबद्ध कंपनी की अनुषंगी कंपनियों के प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक के भुगतान की भी देखरेख करता है जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान किए गए पारिश्रमिक की वसूली हटाना भी शामिल है।

2.3.9 लागत लेखा शाखा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन निम्नलिखित कार्य करती है:

(i) लागत लेखा अभिलेखों और लागत लेखापरीक्षा के लिए नीति तैयार करना;

(ii) इनके संबंध में नियम तैयार और अधिसूचित करना (क) कंपनियों के किसी वर्ग द्वारा यथानिर्धारित लागत लेखा रिकॉर्ड रखना और (ख) कंपनियों के किसी वर्ग के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा;

(iii) लागत अभिलेखों और लेखापरीक्षा नियमों को तर्कसंगत बनाना, जहां कहीं आवश्यक हो;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य संबंधित धाराओं तथा कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुपालन की निगरानी;

(v) चूक करने वाली कंपनियों और लागत लेखापरीक्षकों के विरूद्ध कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से दंडात्मक/अभियोजन कार्रवाई शुरू करना;

(vi) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की पुनरीक्षा, जांच और अध्ययन तथा यदि आवश्यक हो तो कंपनियों से और अधिक सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करना:

(vii) इस प्रकार के अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में संबंधित विभागों/संगठनों/नियामक निकायों को सूचित करना;

(viii) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा प्रस्तुत लागत लेखापरीक्षा मानकों की समीक्षा और उनके अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करना।

2.3.10 निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईजीएमसी) जिसे पहले निवेशक संरक्षण प्रकोष्ठ (आईपीसी) कहा जाता था, का कार्य निवेशक शिकायतों का निपटान करना है। इस अनुभाग का कार्य संबंधित कंपनियों के विरूद्ध निवेशकों द्वारा की गई शिकायतों का कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से शीघ्र निपटान करना है। यह अनुभाग भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, सेबी आदि जैसे विभिन्न अन्य संगठनों/विभागों के साथ इन एजेंसियों के विरूद्ध प्राप्त निवेशक शिकायतों के समाधान हेतु समन्वय भी करता है। मुख्य रूप से आईजीएमसी में प्राप्त शिकायतें निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित होती हैं:

क. वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना

ख. लाभांश राशि न मिलना

ग. आवेदन राशि वापस न मिलना

घ. परिपक्व जमाराशि और उस पर ब्याज का भुगतान न होना

ड़. डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र न मिलना

च. शेयर अंतरण का रजिस्ट्रीकरण न होना

छ. शेयर प्रमाणपत्र जारी न किया जाना

ज. डिबेंचर प्रमाणपत्र न मिलना

झ. राईट्स/बोनस शेयर जारी न किया जाना

ञ. देरी से भुगतान मिलने पर ब्याज न देना

ट. डिबेंचर का पुनर्विमोचन और उस पर ब्याज का भुगतान न किया जाना

ठ. परिवर्तन पर शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होना

2.3.11 निवेशक/जमाकर्ता अपनी शिकायतें मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) का प्रयोग करते हुए एमसीए21 पोर्टल के माध्यम से संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के पास ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत की पावती प्रणाली में एक शिकायत संख्या द्वारा दी जाएगी जिसका प्रयोग भविष्य में शिकायत का अनुसरण करने के लिए किया जा सकता है। निवेशक शिकायतों के समाधान में फील्ड कार्यालयों के सक्रिय सहयोग के लिए क्षेत्रीय

निदेशक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों के साथ–साथ मंत्रालय के मुख्यालय में नामित अधिकारी की अध्यक्षता में एक नोडल टीम का गठन किया गया है। निवेशक अपनी शिकायतें कंपनी रजिस्ट्रार/क्षेत्रीय निदेशक स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों को सीधे ही कर सकते हैं। यदि किसी निवेशक की शिकायत का एक समुचित अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी समाधान नहीं किया जाता है तो उसे मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है। मंत्रालय के नोडल अधिकारियों की सूची कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर "निवेशक सेवाएं" शीर्षक के अधीन उपलब्ध हैं। निवेशक शिकायतों से निपटने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने हेतु आईजीएम प्रकोष्ठ द्वारा एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

2.3.12 कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रकोष्ठ का गठन दिनांक 09 मई, 2014 को किया गया था और इसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर नियमों और अनुसूची–VII में संशोधन प्रस्तावित करना;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियमों के संबंध में पक्षकारों से प्राप्त संदर्भों पर स्पष्टीकरण जारी करना;

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सीएसआर कार्यान्वयन के लिए लोक उद्यम विभाग और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय;

(iv) कंपनियों के सीएसआर व्यय से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण;

(v) कंपनियों द्वारा सीएसआर अनुपालन का नियमन;

(vi) लोक उद्यम विभाग, शीर्ष संघों, आईआईसीए और इस मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आयोजित जानकारी कार्यशालाओं में भाग लेना।

2.3.13 अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग (आरएंडए) इन कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 461 के अधीन यथानिर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 की कार्यप्रणाली और प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और संबंधित वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ii) मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और इसे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करने हेतु वित्त संबंधी स्थायी समिति को प्रस्तुत करना;

(iii) अन्य बातों के साथ–साथ कारपोरेट निष्पादन, पूंजी बाजार सुधारों, विनिवेश और वृहद स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराना;

(iv) विनिवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा गठित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश हेतु अंतःमंत्रालयी समूह (आईएमजी) में कारपोरेट कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना;

(v) कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) की योजना स्कीम के क्षमतानिर्माण घटक का प्रबंधन

(vi) मंत्रालय की स्ट्रैटेजिक योजना तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करना; और

(vii) मंत्रालय तथा नीति आयोग के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करना।

2.3.14 सांख्यिकी प्रभाग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

(i) कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी सूचना का केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संगठनों, जब कभी आवश्यक हो, के साथ आदान–प्रदान करना;

(ii) मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के लिए रिपोर्टें तैयार करना;

(iii) एमसीए21 पोर्टल से प्राप्त कारपोरेट आंकड़ों में सुधार संबंधी मुद्दों की जांच और समाधान;

(iv) 'कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएन)' की केन्द्रीय योजना स्कीम का कार्यान्वयन।

2.3.15 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग अन्य देशों में समकक्ष संगठनों, कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम (सीआरएफ), ग्लोबल रिपोर्टिगं इनिशिएटिव (जीआरआई), इंटरनेशनल एसोशिएशन ऑफ इंसोल्वेंसी रेग्यूलेटर्स (आईएआईआर), आर्गनाइजेशन फॉर इक्नोमिक कॉआपरेशन एंड डेवल्पमेंट (ओईसीडी), अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों का अनुमोदन आदि के साथ समन्वय एवं विचार–विमर्श आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.3.16 आरटीआई मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़ी सभी सूचनाओं का भंडार होने के साथ–साथ आवेदक/अपीलकर्ता और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपील प्राधिकारी के मध्य संपर्क का कार्य भी करता है। यह प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओं, जिनके अधीन सरकारी अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है, के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्रगति की मॉनिटरिंग भी करता है ताकि निर्धारित समय सीमा में इनका निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

2.3.17 महिला बजट प्रकोष्ठ (जीबीसी) सरकारी बजट में महिलाओं के लिए विश्लेषण के एकीकरण में सहायता करने के लिए है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के महिला बजट प्रकोष्ठ में कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मंत्रालय की विभिन्न शाखाओँ के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और संबद्ध कार्यालय तथा व्यावसायिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना/डाटाबेस प्रणाली तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जीबीसी का उद्देश्य कारपोरेट क्षेत्र की नीतियों का महिलाओँ की समानता और सशक्तीकरण के मुद्दों पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ–साथ बजट आबंटन में महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता को बढावा देना है।

2.3.18 राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन करता है; राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजातों का अंग्रेजी से हिंदी और विलोमतः अनुवाद तथा साथ ही संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य देखता है। यह अनुभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन और हिंदी सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह हिंदी शिक्षण योजना के प्रशासन के साथ–साथ हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। यह अनुभाग मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए सुझाव भी देता है।

2.3.19 सतर्कता अनुभाग कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करता है, भ्रष्टाचार में शामिल कथित कर्मचारियों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच करता है। यह अनुभाग भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम करने और सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने के लिए भी प्रयास करता है। इस दिशा में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय के 45 पदों की

पहचान संवेदनशील पदों के रूप में की गई ताकि इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों को प्रत्येक 2/3 वर्षों के बाद रोटेट किया जा सके।

2.3.20 प्रशासन–I अनुभाग केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत मुख्यालय के सभी समूह 'क' अधिकारियों; मुख्यालय में भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस), भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस), भारतीय लागत एवं लेखांकन सेवा (आईसीएएस) और केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएल) के संवर्ग पदों के सभी समूह 'क' अधिकारियों केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियोंः केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के अधिकारियों; केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) के अधिकारीय सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' और 'ग' पदों; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संवर्ग पदों से संबंधित स्थापना मामलों की देखरेख करता है। यह अनुभाग कारपोरेट कार्य मंत्री के कार्यालय, कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री के कार्यालय से संबंधित पदों के सृजन और स्थापना मामले तथा आईसीएलएस को छोड़कर मुख्यालय में पदों का सृजन/जारी रखने के साथ–साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी करता है।

2.3.21 प्रशासन–II अनुभाग भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) (समूह 'क') और आईसीएलएस के अन्य अधीनस्थ ग्रेड के अधिकारियों के सभी स्थापना संबंधी मामलों, आईसीएलएस अधिकारियों और इसके फीडर संवर्ग का प्रशिक्षण और क्षमतानिर्माण, आईसीएलएस और इसके फीडर संवर्ग के भर्तीध्सेवा नियम तैयार करना/संशोधित करना, आईसीएलएस और इसके अधीनस्थ ग्रेड में समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों की भर्ती, आईसीएलएस और इसके अधीनस्थ ग्रेड में अधिकारियों की समीक्षा करना ताकि मूल नियम 56(ञ) के अधीन सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जा सके और संवेदनशील पदों की पहचान की जा सके।

2.3.22 प्रशासन–III अनुभाग गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के सभी नीति संबंधी मुद्दे और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय से संबंधित स्थापना, कार्मिक तथा वित्तीय मामले जिनके लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

2.3.23 प्रशासन–IV अनुभाग कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) से संबंधित स्थापना, कार्मिक एवं वित्तीय मामलों को देखता है जिनके लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

2.3.24 प्रतिस्पर्धा अनुभाग प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी मामले प्रतिस्पर्धा नीति तैयार करनाय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के सभी स्थापना, कार्मिक एवं वित्तीय मामले जिनके लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है; भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामले देखता है।

2.3.25 आधारिक संरचना अनुभाग (क) मंत्रालय और इसके फील्ड कार्यालयों के लिए भूमि और भवन की खरीद; (ख) मंत्रालय और इसके फील्ड कार्यालयों के लिए सभी भवनों (पुराने और नए) के निर्माण/मरम्मत/रख–रखाव के लिए पूंजीगत निर्माण कार्य; और (ग) मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में किराए पर भवन लेने के लिए समझौतों को अंतिम रूप देना।

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/संगठन

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

2.4.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के अधीन 01 जून, 2016 से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)

का गठन किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 466(1) के प्रभाव से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित तत्कालीन कंपनी विधि बोर्ड उस तारीख से ही विघटित हो गया है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

2.4.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के अधीन दिनांक 01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 1933(अ) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन किया है। इससे पहले प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन 14 अक्तूबर, 2003 को प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट) का गठन किया गया था जिसके पास भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्देशों या निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने और आयोग के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले हर्जाने के दावों पर निर्णय करने का अधिकार था। भारतीय प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण को 26 मई, 2017 से समाप्त कर दिया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन अपील से संबंधित कार्य अब एनसीएलएटी को भेजे जाएंगे।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2.5.1 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए मार्च, 2009 में विधिवत् रूप से की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य इस प्रकार है:

क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना;

ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सुस्थिर बनाना;

ग) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण; और

घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

2.5.2 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विलयन या संयोजन नियमित करने का और यदि उसका यह मत हो कि किसी विलयन या समामेलन का भारत में प्रतिस्पर्धा पर 'महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव' है या पड़ने की संभावना है तो समाप्त करने का अधिकार है।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय

2.6.1 गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की स्थापना दिनांक 02 जुलाई, 2003 के एक संकल्प द्वारा की गई थी और इसे अब सांविधिक दर्जा दे दिया गया है। यह एक बहु विषयक जांच एंजेसी है जिसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार, कारपोरेट, विधि फारेंसिक जांच, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर कारपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाते हैं। इसका अध्यक्ष निदेशक है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के हैं। निदेशक की सहायता के लिए अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक, सहायक निदेशक, अभियोजक और अन्य सचिवीय स्टाफ है। एसएफआईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय मुबंई, नई दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं। एसएफआईओ के लिए नए भर्ती नियम अधिसूचित किए जा रहे हैं जिससे समय के साथ एक स्थायी संवर्ग का सृजन हो सकेगा। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए अधिसूचित पदाभिहित विशेष न्यायालयों की सूची **अनुलग्नक–II** पर उपलब्ध है।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

2.7.1 भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना एक 'विचार मंडल', कार्य अनुसंधान, सेवा सुपुर्दगी और क्षमता निर्माण संस्थान के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य सरकार, कारपोरेट संस्थानों और अन्य पक्षकारों के बीच भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हुए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना है। आईआईसीए की अध्यक्षता महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

द्वारा की जाती है। आईआईसीए संबंधी योजना को कैबिनेट द्वारा इस अधिदेश के साथ अनुमोदित किया गया था कि यह वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। सितंबर, 2008 में एक समिति के रूप में अपनी स्थापना से लेकर अब तक संस्थान ने अपने अधिदेश का अनुपालन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2.7.2 मंत्रिमंडल ने तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017–18 से 2019–20 के लिए आईआईसीए स्कीम को 18.00 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता के साथ जारी रखने हेतु अनुमोदन दिया है। इस संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत तक आत्मनिर्भर होने के लिए वेविध्यपूर्ण (ब्राड–बेस्ड) योजना बनाई है। यह पहले से ही किए गए क्षमता–निर्माण एवं अनुसंधान कार्यकलापों के अलावा राजस्व प्राप्त करने वाले सभी कार्यकलापों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर रहा है और लक्षित समय–सीमा के भीतर स्व–स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है। आईआईसीए का उद्देश्य, इस देश का प्रमुख संस्थान बनना है जो संस्थान की क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए सरकार एवं कारपोरेट क्षेत्र के व्यवसायिकों को विशेष रूप से कारपोरेट शासन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान/विशेषज्ञता प्रदान कर सके। इस संस्थान का लक्ष्य 21.20 करोड़ रुपये (2018–19) और 30 करोड़ रुपये (2019–20) का सकल राजस्व प्राप्त करना है।

2.7.3 आईआईसीए ने, वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यकलापों/कार्यक्रमों में अंशदान दिया है। इस संस्थान को राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार आयोजित करने, निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) परियोजना के भाग के रूप में जन संचार योजना तैयार करने और जारी करने, एमसीए कर्मचारियों के क्षमता निर्माण आदि का दायित्व सौंपा गया है। आईआईसीए भुगतान बैंकिंग के आने वाले क्षेत्रों में रिसर्च चेयर संस्थापित करने के माध्यम से अनुसंधान में सहायता करने के अलावा इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के 2300 अधिकारियों को प्रवेश प्रशिक्षण भी दे रही है। आईआईसीए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के साथ संयुक्त रूप से "प्रतिस्पर्धा संबंधी रोड शो" के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में भी कार्य कर रहा है जिससे देश में अनुपालन और प्रतिस्पर्धा कानून को व्यवसाय और कानून के समर्थक के रूप में रखा जा सके। आईआईसीए ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर संस्कृति समझौता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है और ब्रिज मेडिएशन एंड कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड (बीएमसीपीएल) के साथ, बांग्लादेश इंटरनेशनल आरबिटेरेशन सेंटर (बीआईएसी) के 30 से अधिक सहायकों, प्रतिनिधियों के लिए मध्यस्थता भी की है। इनके कुछ अन्य प्रशंसनीय पहल में निम्नलिखित शामिल हैं,

क. आईसीएलएस अधिकारियों के लिए आईसीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख. बेहतर बोर्ड बनाने के संबंध में आईएफसी वर्ल्ड बैंक मास्टर क्लास

ग. कपट रोकथाम, पहचान और जांच के संबंध में आईआईसीए–ओएनजीसी कार्यक्रम

घ. सीएसआर पहलों के नियंत्रण के संबंध में आईआईसीए कार्यक्रम।

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण

2.8.1 विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने और निवेशकों के दावों की वापसी करने के उद्देश्य से किया गया था। यह निधि भारत की संचित निधि के अधीन रखी जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार सभी शेयरों जिनके संबंध में लगातार सात वर्ष या अधिक समय से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा।

2.8.2 इस निधि के प्रशासन के लिए केंद्रीय सरकार ने 07 सितंबर, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष, सात सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल है। सचिव, एमसीए इस अधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016

2.8.3 दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) शासकीय राजपत्र में 28 मई, 2016 को प्रकाशित की गई और 01 अगस्त, 2016 को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 संशोधित किए गए और अधिसूचित किए गए जिनमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस संहिता के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया। इस संहिता का अधिनियम कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदार फर्मों और वैयक्तिकों के दिवाला समाधान एवं पुनःव्यवस्था संबंधी कानूनों को समयोचित तरीके से समेकित करने और संशोधित करने के उद्देश्य से किया गया था जिससे उद्यमता, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों का संतुलन जिसमें सरकारी देय के भुगतान की प्राथमिकता में संशोधन शामिल है, को बढावा देने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्यों को बढाया जाए और इससे संबंधित मामलों के लिए भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना की जा सके।

2.8.4 भारतीय दिवाला एंव शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), दिवाला व्यवसायिक (आईपी), दिवाला व्यवसायिक एजेंसी (आईपीए) और न्याय–निर्णयन प्राधिकारी अर्थात् राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के रूप में दिवाला प्रणाली पारितंत्र ने अपना स्थान बनाया हुआ है। संहिता में यथाविहित कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान एवं समापन संबंधी उपबंधों को संगत नियमों एवं विनियमनों के साथ अधिक प्रभावी बनाया गया है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अब तक उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(i) 01 अक्तूबर, 2016 को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का गठन किया गया। 01 अक्तूबर, 2016 को अध्यक्ष द्वारा बोर्ड का कार्यभार संभाल लिया गया। बोर्ड में चार पदेन सदस्य एवं तीन पूर्णकालिक सदस्य भी शामिल हुए हैं। आईबीबीआई का वेबसाइट www.ibbi.gov.in है।

(ii) संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम एवं विनियमन अधिसूचित किए गए हैं जिसमें आईपी, आईपीए और सूचना संस्थान के नियंत्रण संबंधी विनियमन के अलावा मुख्य रूप से भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, दिवाला एवं शोधन अक्षमता (न्याय–निर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2016, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया), 2016, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्टट्रैक दिवाला एवं समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 आदि शामिल है।

(iii) भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा दिवाला व्यवसायिक एजेंसी (तीन), दिवाला व्यवसायिक (27 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार 2,166), दिवाला व्यवसायिक संस्थान (27 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार 81), मूल्यांकक (एक सौ इकसठ), मूल्यांकक संगठन (आठ) और एक सूचना संस्थान रजिस्ट्रीकृत किया गया है। इसका विवरण www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध है।

(iv) आईबीसी, 2016 के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अर्थात् राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) आईबीसी, 2016 के भाग–II द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करता है। वर्तमान में एनसीएलटी के नई दिल्ली स्थित मूल न्यायपीठ के साथ–साथ 13 न्यायपीठें कार्यात्मक हैं। अपील अधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) भी कार्यात्मक हैं।

(v) 31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार 856 कारपोरेट, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल हो रहे थे। दिवाला प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले 1279 कारपोरेटों में से 126 को अपील या समीक्षा के पश्चात् बंद कर दिया गया, 57 कारपोरेटों का समाधान किया गया और जबकि 239 का समापन किया गया।

(vi) मंत्रालय ने नवंबर, 2017 में संहिता की कार्यात्मकता और कार्यान्वयन की समीक्षा करने, संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट कारपोरेट दिवाला समाधान और समापन ढांचे की कुशलता को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करने और ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए उचित सिफारिश का सुझाव देने के लिए दिवाला विधि समिति (आईएलसी) का गठन किया था जिससे संहिता के अधीन विनिर्धारित प्रक्रियाओं की कुशलता को बढाया जा सके। आईएलसी ने 26 मार्च, 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध है।

(vii) हितधारकों की शिकायतों का समाधान करने हेतु संहिता को दो बार संशोधित किया गया। दिवाला विधि समिति की सिफारिशों पर दिसंबर, 2017 में पहला संशोधन किया गया था और अगस्त, 2018 को दूसरा संशोधन किया गया था।

व्यावसायिक संस्थान

2.9.1 यह मंत्रालय संसद के अधिनियमों के अधीन गठित तीन व्यवसायिक संस्थानों नामतः भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के माध्यम से लेखाकारिता (चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949); लागत लेखाकारिता (लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959); और कंपनी सचिव (कंपनी सचिव अधिनियम, 1980); के व्यवसायों का नियमन करने वाले कानूनों का प्रशासन करता है।

अध्याय–III

कंपनी अधिनियम और इसका प्रशासन

3.1.1 कंपनी अधिनियम द्वारा कंपनियों के निगमन, प्रचालन, शासन, परिसमापन और समापन सहित कार्यकलापों की बड़ी श्रृंखला का नियंत्रण किया जाता है। कारपोरेट शासन का विनियमन, और कंपनियों के शेयरधारकों के प्रति उनकी बाध्यताएं, अधिमान शेयर जारी करने के संचालन संबंधी शर्तें, निजी स्थापन और लाभांश के वितरण, सांविधिक प्रकटीकरण बाध्यताएं, निरीक्षण, जांच और प्रवर्तन के अधिकार और कंपनी प्रक्रियाएं जैसे विलय/समामेलन/व्यवस्था/पुनर्गठन आदि जैसे विषय अधिनियम के मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं।

नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना

3.2.1 दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018 के दौरान मंत्रालय ने 78 अधिसूचनाएँ और 10 सामान्य परिपत्र जारी किए हैं (क्रमशः **अनुलग्नक–III** और **IV**)।

कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण

3.3.1 दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 18,10,813 कंपनियां रजिस्ट्रीकृत थीं। इनमें से, 11,16,362 कंपनियां (जिसमें 10,49,558 निजी कंपनियां और 66,804 सार्वजनिक कंपनियां शामिल हैं) सक्रिय थीं। अधिकांश सक्रिय कंपनियां (लगभग 73.64%) मुख्य रूप से चार शीर्षों के अधीन शामिल कार्यकलापों में प्रचालन कर रही थीं, अर्थात्, 'व्यवसाय सेवाएं' (31.94%), 'विनिर्माण' (19.96%), 'व्यापार' (12.95%) और 'निर्माण' (8.79%)। व्यवसाए सेवाओं में अन्य बातों के साथ–साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, डाटा प्रोसेसिंग, अनुसंधान और विकास, विधि, लेखांकन और लेखापरीक्षा सेवाएं, व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श और विज्ञापन आदि शामिल हैं। विनिर्माण में अन्य बातों के साथ–साथ खाद्य उत्पाद, वस्त्र, कागज का निर्माण, धात्विक और अधात्विक खनिज उत्पाद, रसायन और पेट्रो रसायन, रेडियो, टेलिविजन, परिवहन उपकरण आदि शामिल हैं।

3.3.2 दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार सक्रिय कंपनियों का आर्थिक क्षेत्र–वार वितरण और उनकी प्राधिकृत पूंजी **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1

दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार आर्थिक कार्यकलापवार सक्रिय कंपनियां

(प्राधिकृत पूंजी करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	आर्थिक कार्यकलाप	प्राइवेट		पब्लिक		कुल	
		संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी
I	**कृषि और संबद्ध कार्यकलाप**	29,090	22,500.62	2,458	33,837.13	31,548	56,337.75
II	**उद्योग**	3,19,559	9,69,957.82	25,481	23,75,646.87	345,040	33,45,604.69
1	विनिर्माण	2,04,175	5,29,305.11	18,602	9,16,476.22	2,22,777	14,45,781.33
2	निर्माण	93,696	2,22,513.83	4,426	2,42,326.93	98,122	4,64,840.76

क्र.सं.	आर्थिक कार्यकलाप	प्राइवेट		पब्लिक		कुल	
		संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी	संख्या	प्राधिकृत पूंजी
3	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	11,465	1,75,675.95	1,727	11,55,690.65	13,192	13.31,366.61
4	खनन और उत्खनन	10,223	42,462.94	726	61,153.06	10,949	1,03,616.00
III	**सेवाएं**	6,85,613	9,66,891.70	35,967.00	13,96,711.79	7,21,580	23,63,603.49
1	व्यवसाय सेवाएं	3,46,263	3,82,351.61	10,355	4,18,841.44	3,56,618	8,01,193.05
2	व्यापार	1,38,390	1,98,489.00	6,172	1,06,988.98	1,44,562	3,05,477.98
3	स्थावर संपदा व किराए	65,711	87,032.95	3,008	34,835.26	68,719	1,21,868.21
4	सामुदायिक, निजी और सामाजिक सेवाएं	65,463	79,498.20	3,940	1,38,406.83	69,403	2,17,905.03
5	वित्त	37,195	1,66,085.97	10,844	3,95,160.72	48,039	5,61,246.69
6	परिवहन, भंडारण और संचार	31,886	50,839.54	1,483	2,51,648.57	33,369	3,02,488.10
7	बीमा	705	2,594.43	165	50,830.00	870	53,424.42
IV	**अन्य**	15,296	45,348.80	2,898	1,20,600.62	18,194	1,65,949.42
	कुल	**10,49,558**	**20,04,698.94**	**66,804**	**39,26,796.41**	**11,16,362**	**59,31,495.35**

चार्ट 3.1 दिनांक **31 अक्तूबर, 2018** की स्थिति के अनुसार सक्रिय कंपनियों का क्षेत्र–वार वितरण दर्शाता है।

चार्ट 3.1
सक्रिय कंपनियों का क्षेत्रवार वितरण (31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार)

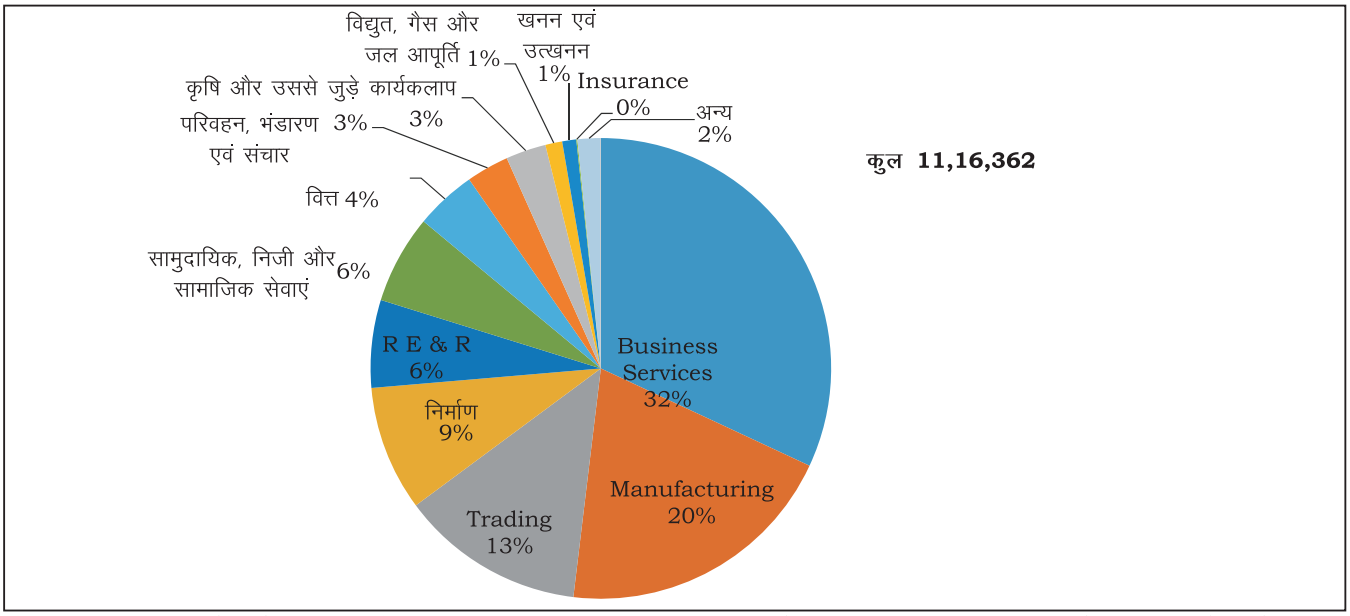

'ईजी एंड डब्ल्यू' विद्युत, गैस और जल आपर्ति, 'टीएस एंडी सी' परिवहन, भंडारण एंव संचार है, 'सीपीएंडएस' सामुदायिक निजी और सामाजिक सेवाएं हैं, आरई एंड आर' स्थावर संपदा और किराए है।

3.3.3 दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 तक की अवधि के दौरान कुल 99,568 कंपनियां रजिस्ट्रीकृत हुई जिनकी समेकित प्राधिकृत पूंजी 60,711.25 करोड़ रूपए थी। इनमें से, 80 सरकारी कंपनियां थीं जिनकी प्राधिकृत पूंजी 23,134.8 करोड़ रुपए थी और 99,448 गैर–सरकारी कंपनियां थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी 37,576.45 करोड़ रुपए थी।

एकल व्यक्ति कंपनी

3.3.4 कंपनी अधिनियम, 2013 से भारत में एकल व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) की संकल्पना की शुरूआत हुई है। दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान 142.49 करोड़ रुपए की समेकित प्राधिकृत पूंजी के साथ कुल 5,199 एकल व्यक्ति कंपनियां रजिस्ट्रीकृत की गई थी। **चार्ट 3.2** दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान के दौरान रजिस्ट्रीकृत एकल व्यक्ति कंपनियों का क्षेत्र–वार वितरण दर्शाता है।

चार्ट 3.2
एक व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) का क्षेत्र–वार वितरण

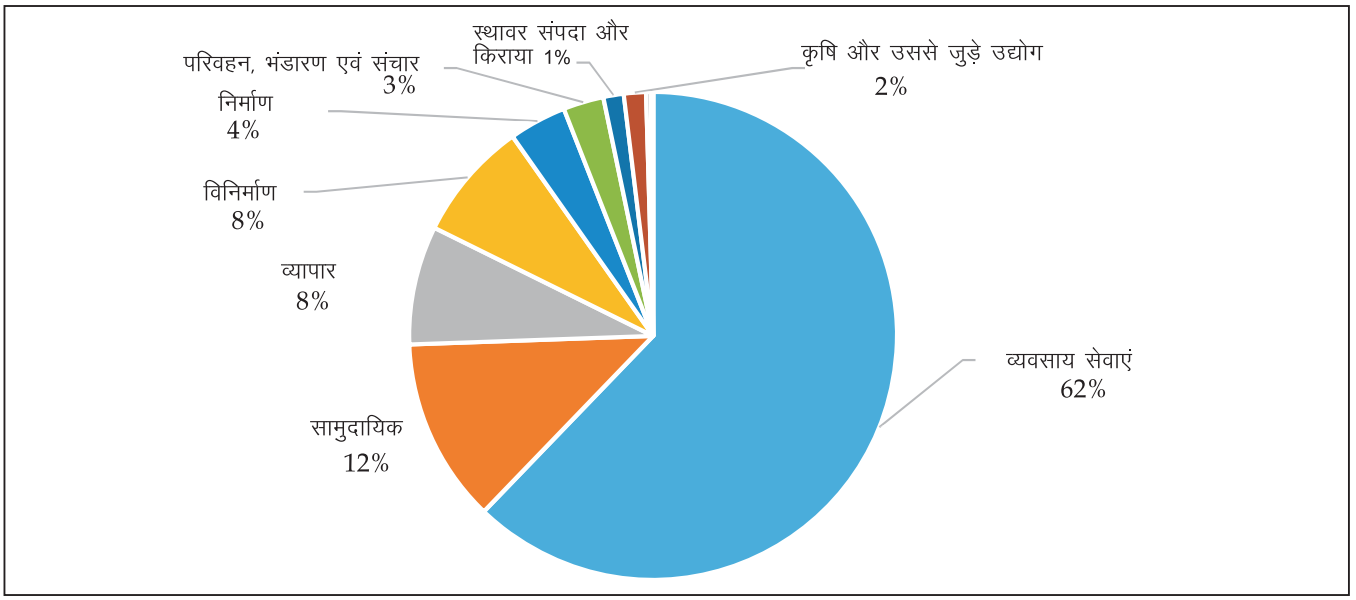

टीएस एंड सी' परिवहन, भंडारण एंव संचार, 'सीपीएंडएस' सामुदायिक, निजी और सामाजिक सेवाएं, आरई एंड आर' स्थावर संपदा और किराए है।

विदेशी कंपनियां

3.3.5 दिनांक 30 सितंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनियों की कुल संख्या 4,702 थीं जिसमें से 3,373 विदेशी कंपनियां सक्रिय थीं। दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 30 सितंबर, 2018 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कुल 77 विदेशी कंपनियां रजिस्ट्रीकृत की गईं।

प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक

3.4.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, धारा 197 के अधीन अनुसूची–V के भाग–I के अनुरूप नियुक्त न होने वाले किसी कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित सांविधिक आवेदनों का निपटान करता है जिसमें ऐसे प्रबंधकीय कार्मिकों को

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा से अधिक दिए गए पारिश्रमिक की वसूली नहीं करना भी शामिल है।

3.4.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की **अनुसूची–V** के साथ पठित धारा 196 और 197 के अधीन 01 दिसंबर, 2017 से 12 नवंबर, 2018 के दौरान कुल 217 आवेदन प्राप्त हुए और 01 दिसंबर, 2017 तक 227 आवेदन लंबित थे। दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 12 नवबंर, 2018 के दौरान कुल 444 आवेदनों में से 401 आवेदन निपटाए गए और 13 नवंबर, 2018 तक 43 आवेदन लंबित थे।

सरकारी कंपनियों का विलयन

3.4.3 सरकारी कंपनियों के विलयन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अधीन दिनांक 30 नवंबर, 2017 तक केवल एक आवेदन लंबित था। 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इस अवधि के दौरान एक आवेदन का निपटान किया गया और 01 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार कोई आवेदन लंबित नहीं था।

सरकारी कंपनियों का समामेलन

3.4.4 सरकारी कंपनियों के समामेलन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 232 के अधीन दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 से 31 अक्टूबर, 2018 तक की अवधि के दौरान केवल 7 आवेदन प्राप्त हुए और दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के अनुसार 8 आवेदन लंबित थे। दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018 के दौरान 5 आवेदनों का निपटान किया गया। 01 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार 10 आवेदन लंबित थे।

कंपनियों का परिसमापन

3.4.5 दिनांक 01 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, 5,185 कंपनियां परिसमापनाधीन थीं; इनमें से 562 कंपनियां सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रियाधीन थीं, 2 कंपनियां लेनदारों की स्वेच्छा से परिसमापनाधीन थी और 4,621 कंपनियां न्यायालय द्वारा बंद किए जाने के प्रक्रियाधीन थी। 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान, 72 कंपनियों का परिसमापन किया जा रहा है और न्यायालय द्वारा 324 कंपनियों का समापन किया गया। 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान कुल 5,581 कंपनियों में से 518 कंपनियों का अंतिम रूप से विघटन किया गया। 31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार 5,063 कंपनियां परिसमापन की प्रक्रिया में थी। जिनमें से 489 कंपनियां सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने, 1 कंपनी लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक रूप से और 4,573 कंपनियां न्यायालय द्वारा बंद किए जाने की प्रक्रिया में थीं।

वार्षिक आम अधिवेशन के स्थान में परिवर्तन

3.4.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96, के अधीन केंद्रीय सरकार के पास वार्षिक आम अधिवेशन का स्थान कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थान के अलावा कहीं अन्यत्र परिवर्तित करने का अनुमोदन देने का अधिकार है।

विलंब की माफी

3.4.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460(ख), के अधीन कुछ मामलों में, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी उपबंध के अधीन रजिस्ट्रार के समक्ष दायर किए जाने हेतु अपेक्षित किसी दस्तावेज को विनिर्दिष्ट

समय के भीतर दायर नहीं किया जाता है के संबंध में विलंब की माफी मांगी जाती है तो, केन्द्रीय सरकार लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ विलंब के लिए क्षमा कर सकती है। दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्टूबर, 2018 के दौरान कुल 1,112 आवेदन प्राप्त हुए और 01 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार 354 आवेदन लंबित थे। कुल आवेदनों में से 1,252 आवेदनों का निपटान किया गया और दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक 214 आवेदन लंबित थे।

संवीक्षा

3.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 की उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार को किसी कंपनी से संबंधित सूचना, स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांगने का अधिकार है।

3.5.2 मंत्रालय ने 31 मार्च, 2011 और उसके बाद के वर्षों के लिए कंपनियों के कुछ वर्गों द्वारा प्रासारणीय कारोबार रिपोर्ट भाषा (एक्सबीआरएल) मोड में तुलनपत्र दायर करना अनिवार्य किया है।

3.5.3 कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनियों द्वारा फाइल किए गए तुलनपत्रों और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करता है:

i. कंपनियों द्वारा एक्सबीआरएल मोड पर दायर किए गए तुलनपत्रों के विश्लेषण के संबंध में एमसीए21 प्रणाली द्वारा सूचित चेतावनी;

ii. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में योग्यताएं;

iii. कंपनियों द्वारा पब्लिक इश्यू और जमाओं के माध्यम से उगाही क प्राधिकरणों अर्थात् सेबी, आरबीआई, भारत सरकागई निधियां;

iv. कंपनियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें; और/या

v. अन्य विनियामर के अन्य मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकार से प्राप्त संदर्भ में।

3.5.4 मंत्रालय में 01 दिसंबर, 2017 से 14 नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान 541 संवीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुई है।

निरीक्षण

3.6.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) कंपनी रजिस्ट्रारों या, केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारियों को कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए विशेष लेखापरीक्षा का आदेश देने के लिए कंपनी की लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों की जांच करने, कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश देने और अभियोजन चलाने का अधिकार देती है। मंत्रालय को दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 14 नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान 77 निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

जांच

3.7.1 केंद्रीय सरकार के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 के अधीन, यदि यह मत हो कि निम्नलिखित कारणों के आधार पर जांच आवश्यक है तो, कंपनी के कार्यों की जांच के आदेश देने का अधिकार है:

(क) धारा 208 के अधीन आरओसी की निरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर; या

(ख) कंपनी के इस विशेष संकल्प कि इसके कार्यों में जांच की आवश्यकता है, के आधार पर; या

(ग) न्यायिक आदेशों के आधार पर; या

(घ) जनहित में।

3.7.2 केंद्रीय सरकार धारा 210 के अधीन जांच करने के लिए एक या एक से अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। केंद्रीय सरकार ने दिनांक 12 जुलाई,

2003 के संकल्प द्वारा, कारपोरेट कपट संबंधी मामलों की जांच करने हेतु गंभीर अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) का गठन किया था। एसएफआईओ को धारा 211 द्वारा सांविधिक स्थिति दी गई है। धारा 210 के अधीन एसएफआईओ को निम्नलिखित मामलों में जांच करने के लिए कहा जा सकता है:

(i) जटिलता, और अंतर–विभागीय और बहु–अनुशासनात्मक समस्याओं वाले मामले;

(ii) जनहित का महत्वपूर्ण योगदान जिसका आकलन आकार के आधार पर किया जाना है, जो नकदी दुरूपयोग या प्रभावित व्यक्ति के अनुसार होगा; और

(iii) प्रणाली, कानून और प्रक्रियाओं में स्पष्ट सुधार के उद्देश्य से, या उसमें सहयोग देने के उद्देश्य से जांच की संभावना।

3.7.3 मंत्रालय ने से 1 दिसंबर, 2017 से 14 नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान एसएफआईओ और प्रादेशिक निदेशक कार्यालयों (एसएफआईओ के माध्यम से 33 कंपनियां और आरडी के माध्यम से 164 कंपनियां) के माध्यम से 197 कंपनियों के मामले में जांच आदेश दिए हैं। पिछले वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए जांच आदेशों में से वर्ष के दौरान 59 कंपनियों (एसएफआईओ ने 5 जांचे पूरी की हैं और आरडी द्वारा 54 जांच पूरी की गई हैं) के मामलों में जांच पूरी कर ली गई है। दिनांक 14 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार 225 कंपनियों के मामलों में (एसएफआईओ द्वारा 70 मामले और आरडी द्वारा 155 मामले) जांच की जा रही थी।

अभियोजन

3.8.1 कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा कंपनियों के विरूद्ध अभियोजन चलाए जाते हैं। दिनांक 01 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा दायर 46,547 अभियोजन न्यायालयों में लंबित थे। वर्ष 2018–19 के दौरान (31 अक्तूबर, 2018 तक) 2,254 नए अभियोजन दायर किए गए थे। दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल 48,801 मामलों में से, 9,491 अभियोजनों का निपटान किया गया और 39,310 अभियोजन लंबित थे।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

3.9.1 केंद्रीय सरकार ने, प्रथम चरण में कारपोरेट झगड़ों का अपेक्षाकृत शीघ्र समाधान करने और एजेंसियों की बहुलता को कम करके देश में 'ईज़ आफ डूइंग बिजनेस' का प्रवर्तन करने के लिए एनसीएलटी के ग्यारह न्यायपीठें – नई दिल्ली स्थित मूल न्यायपीठ और नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरू, चंडीगढ, चेन्नई, गुवाहटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित दस न्यायपीठ गठित की है। इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 28 जून, 2018 के अधिसूचना संख्या का.आ.3145(अ) के अनुसार 01 जुलाई, 2018 से जयपुर में राजस्थान राज्य के क्षेत्राधिकार के लिए, 12 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3430(अ) द्वारा 15 जुलाई, 2018 से कटक में ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के क्षेत्राधिकार और 27 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.3683(अ) के अनुसार 01 अगस्त, 2018 से कोच्चि में केरला और लक्ष्यद्वीप संघ शासित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के लिए तीन नई न्यायपीठों का गठन किया गया है। 25 जुलाई, 2018 से जयपुर स्थित एनसीएलटी न्यायपीठ का परिचालन किया गया है। केंद्रीय सरकार ने 12 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.632(अ) द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 21 सितंबर, 2015 की सा.का.नि. – जो एनसीएलटी के अध्यक्ष और सदस्यों के नियत वेतन से संबंधित है, संबंधित अधिसूचना में संशोधन किया है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एनसीएलटी में दो न्यायिक सदस्य और तीन

तकनीकी सदस्य शामिल हुए हैं। आज की स्थिति के अनुसार एनसीएलटी में उन्नीस न्यायिक सदस्य और नौ तकनीकी सदस्य शामिल हैं और वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल अट्ठाइस सदस्य हैं। न्यायपीठों की सूची **अनुलग्नक–V** पर उपलब्ध है।

3.9.2 राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की अपनी वेबसाइट www.nclt.gov.in है जिस पर न्यायपीठों के संगठन, कार्यप्रणाली, क्षेत्राधिकार, वादसूची, अधिकरण की न्यायपीठों द्वारा पारित किए गए आदेश, आदि उपलब्ध हैं। सभी अंतरिम और अंतिम आदेशों तथा न्यायनिर्णयों की प्रतियां उक्त वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं जहां से हितधारक/व्यवसायिक उन्हें देख कर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट को हितधारकों की सुविधा के लिए नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।

3.9.3 केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2017 में ई–न्यायालयों के सॉफ्टवेयर विकास के लिए एनसीएलटी/एनसीएलएटी की परियोजना का अनुमोदन किया है। सितंबर, 2017 में ई–फाइलिंग का प्राथमिक संस्करण प्रस्तुत किया गया था। ई–फाइलिंग, ई–भुगतान, मामला प्रबंधन प्रणाली और सूचीकरण के लिए एप्लीकेशन विकास का पहला संस्करण पूरा हो गया है। क्लाउड होस्टिंग (मेघराज/डीसी) भी कर लिया गया है। डाटा डिजीटाईजेशन और स्थानांतरण हेतु, 500 से अधिक फाइलों को फरवरी, 2018 तक डिजीटाइज कर दिया गया है। 27.08.2018 से याचिका/आवेदन की भौतिक प्रतियों सहित डिजीटल फाइल प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। 01 अगस्त, 2018 से लिखित वाद सूची सहित ई–वाद सूची भी निकाली जा रही है। अगस्त, 2018 के पहले सप्ताह से सूचीबद्ध मामलों से संबंधित पक्षों को प्रतिदिन एसएमएस/ई–मेल भेजा जा रहा है। 01 नवंबर, 2018 से फाइलिंग काउंटर में प्राप्त सभी याचिकाओं/आवेदनों को ई–फाइल मॉड्यूल के माध्यम से फाइल किया जा रहा है और इसके साथ ही मेटाडाटा भी तैयार किया जा रहा है। मूल/नई दिल्ली न्यायपीठ पर डिसप्ले बोर्ड का कार्यान्वयन कर दिया गया है। अन्य न्यायापीठों अर्थात् कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई और चंडीगढ में भी डिसप्ले बोर्ड कार्यात्मक है।

3.9.4 एनसीएलटी ने शुरूआत से ही सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए विद्वत सम्मेलन आयोजित किए हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एनसीएलटी के सदस्यों के लिए नई दिल्ली और चेन्नई में 2 विद्वत सम्मेलन आयोजित किए गए थे।

3.9.5 एनसीएलटी न्यायपीठों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, नियमित स्टॉफ की लंबित भर्ती और नियमों को अंतिम रूप देने के संबंध में, संविदात्मक और आउटसोर्स आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। एनसीएलटी न्यायपीठों में प्रतिनियुक्ति आधार पर भी अधिकारी नियोजित किए जाते हैं।

3.9.6 कोई भी व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में संपर्क करता है तो उन्हें सभी आवश्यक सूचनाएं और दिशा–निर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं। सुविधा केन्द्र और फाइलिंग काउंटर कार्यरत हैं। एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय अधिवक्ताओं और व्यवसायिकों के प्रयोग के लिए उपलब्ध है। एनसीएलटी ने नागरिकों और व्यवसायिकों को समयोजित और गुणवत्ता सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ नागरिक चार्टर को भी अपनाया है।

3.9.7 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के लिए एनसीएलटी में मामलों की फाइलिंग/निपटान के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

तालिका 3.2
एनसीएलटी में मामलों की फाईलिंग/निपटान

मामले	01 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक जमा	उच्च न्यायालय से अंतरित	नए फाइल किए गए मामले	निपटाए मामले	31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले
विलयन एवं समामेलन	1,613	18	2,711	2,653	1,689
आईबीसी	1,988	30	6,994	2,909	6,103
अन्य	4,479	0	8,368	6,675	6,172
कुल	**8,080**	**48**	**18,073**	**12,237**	**13,964**

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

3.10.1 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 61 धारा 202 और धारा 211 के अधीन एनसीएलटी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु अपील अधिकरण है।

3.10.2 एनसीएलएटी वित्त अधिनयम, 2017 की धारा 172 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 में किए गए संशोधन के अनुसार दिनांक 26 मई, 2017 से सीसीआई द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश या लिए गए निर्णय या पारित किए गए आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान करने के लिए भी अपील अधिकरण है।

3.10.3 एनसीएलएटी के वर्तमान अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.जे. मुखोपाध्याय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। माननीय श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.आई.एस. चीमा, पूर्व न्यायाधीश, मुम्बई उच्च न्यायालय और माननीय श्री न्यायमूर्ति (से.नि.) बन्सीलाल भट्ट, पूर्व न्यायाधीश, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय न्यायिक सदस्य हैं। माननीय श्री बलविन्द्र सिंह भूतपूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तकनीकी सदस्य हैं।

3.10.4 इस अधिकरण में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का एक रजिस्ट्रार पद भी है। एनसीएलएटी पं. दीनदयाल अन्तोदय भवन, तीसरा तल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में संचालित है।

3.10.5 एनसीएलएटी में दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों (जैसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53ख के अधीन अपीलें, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53ढ़ के अधीन प्रतिपूर्ति मामले, एमआरटीपी मामले, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 421 के अधीन दायर मामले, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 61 के अधीन दायर मामले) के अंतर्गत कुल 1,249 मामले प्राप्त हुए हैं। दिनांक 30 नवंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार 264 मामले लंबित हैं। कुल 1,513 मामलों में से 893 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार 620 मामले लंबित है।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच और अभियोजन

(क) जांच

3.11.1 दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 से 12 नवंबर, 2018 तक की अवधि के दौरान एसएफआईओ द्वारा मंत्रालय को पॉच जांच रिपोर्टें प्रस्तुत की गई है। जिनमें 57 कंपनियाँ शामिल हैं।

(ख) अभियोजन

3.11.2 दिनांक 01 दिसंबर, 2016 से 30 नवंबर, 2017 और 1 दिसम्बर, 2017 से 12 नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान विभिन्न पदाभिहित न्यायालयों में दायर अभियोजनों की संख्या निम्नलिखित है:

तालिका 3.3
विभिन्न पदाभिहित न्यायालयों में दायर अभियोजनों की संख्या

अवधि	दायर अभियोजनों की संख्या			दायर अभियोजनों की कुल संख्या
	कंपनी विधि/आईपीसी	आईसीएआई/ आईसीएसआई	सीएलबी	
दिनांक 01 दिसंबर, 2016 से 30 नवंबर, 2017 तक	21	19	0	40
दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 12 नवंबर, 2018 तक	6	6	0	12

लागत लेखापरीक्षा

3.12.1 इस अवधि के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों की कुछ श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से इंडएएस अनिवार्य रूप से लागू करने से संबंधित अधिसूचना जारी करने के बाद लागत अभिलेखों/लागत विवरणों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार व्यवस्थित) के साथ वित्तीय अभिलेखों/वित्तीय विवरणों की अनुरूपता के लिए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014की पुनरीक्षा की गई थी। दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सा.का.नि.सं.1498(अ) द्वारा आवश्यक संधोधन अधिसूचित किए गए।

3.12.2 दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम,' 1985 के निरसन के कारण 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्ष' को 'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्ष' के साथ प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1526(अ) द्वारा कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 2017 अधिसूचित किए गए थे।

3.12.3 दिनांक 04 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1480(अ) द्वारा कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारोबार रिपोर्टिंग भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 संशोधित किए गए जिससे कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 में दिनांक 07 दिसंबर, 2017 और 20 दिसंबर, 2017 को किए गए संशोधन हेतु वर्गीकरण में परिवर्तन किए जा सकें।

वर्ष 2016–17 के लागत और मूल्यों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन

3.12.4 वर्ष 2016–17 के लागत और मूल्य संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन को दिनांक 31 दिसंबर, 2017 को संबंधित कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एमसीए21 प्रणाली में ई–प्ररूप सीआरए–4 द्वारा लागत लेखापरीक्षा के अधीन दायर किए गए। लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों का विश्लेषण/जांच के पश्चात् तैयार किया जा रहा है। यह वार्षिक प्रतिवेदन अंतिम रूप देने के अग्रिम स्तर पर है।

3.12.5 मंत्रालय ने वर्ष 2017–18 के दौरान लागत लेखापरीक्षकों (25,प्ररूप–23ग और 8,388, प्ररूप सीआरए–2) की नियुक्ति से संबंधित 8,433 ई–प्ररूप प्राप्त किए हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान दिनांक 15 नवंबर, 2018 तक ऐसी फाइलिंग की संख्या 7,441 ई–प्ररूप (11, प्ररूप 23ग; और 7,430–प्ररूप सीआरए–2) थी। ऐसी सभी फाइलिंग का निपटान उसी वर्ष में कर दिया गया है।

3.12.6 साथ ही वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान 15 नवंबर, 2018 तक प्राप्त लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या क्रमशः 7,310 (119–I–एक्सबीआरएल; और 7,191–सीआरए–4) और 4,798 (17, I–एक्सबीआरएल; और 4,781–सीआरए–4) थी।

3.12.7 वर्ष 2017–18 के दौरान मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा दायर 350 लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें विभिन्न प्रयोक्ता विभागों जैसे कि प्रशुल्क आयोग, उर्वरक विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, पाटनरोधी महानिदेशालय, माल और सेवाकर प्राधिकरण आदि के साथ साझा की है। वर्ष 2018–19 के दौरान 15 नवंबर, 2018 तक साझा की गई ऐसी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या 220 थी।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक

3.13.1 दिनांक 28 मार्च, 2018 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन किए गए जिससे इंडएएस–115 राजस्व पहचान मानक को ग्राहकों के संविदा के अनुसार प्रवृत्त किया जा सके और इंडएएस–11, निर्माण संविदा और इंडएएस–18, राजस्व संविदा को प्रतिस्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य मानकों में संशोधन अर्थात् इंडएएस–21, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव, इंडएएस–112, अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटीकरण और और इंडएएस–28 सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश, इंडएएस–40, संपत्ति निवेश और इंडएएस–12, आयकर में संशोधन समरूपी आईएफआरएस मानक/इंडएएस–115 के कारण परिणामी परिवर्तन में वार्षिक सुधार के रूप में किए गए। उक्त मानक में उल्लिखित विभिन्न खडों के अनुसार इंडएएस–115 मानक के राजस्व पहचान पहलूओं में सुधार की संभावना है। भारतीय कंपनियों को वित्तीय कथन अर्थात् के मुख्य मापदंड अर्थात् राजस्व पहचान के संबंध में एकल, वैश्विक रूप से प्रयोजित और तुलनात्मक मानक के अंतरण से लाभ होने की संभावना है।

3.13.2 दिनांक 20 सितंबर, 2018 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन किए गए जिससे संस्थाओं को (i) आस्थगित आय के रूप में अनुदान देने या (ii) आस्ति की वहन राशि पर पहुंचने के लिए अनुदान में कटौती के माध्यम से, आस्तियों से संबंधित अनुदान प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने के माध्यम से इंडएएस–20, सरकारी अनुदान संबंधी लेखें और सरकारी सहयोग हित प्रकटीकरण में परिवर्तन किये

अध्याय–IV

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

4.1.1 भारत में लगभग 95% औद्योगिक ईकाइयां छोटे एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इन लघु एवं मध्यम उद्यमों में से 90% मालिकाना रूप से रजिस्ट्रीकृत है, लगभग 2% से 3% भागीदारी के रूप में एवं 2% से कम कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। एसएमई जगत में कारपोरेट स्वरूप बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता लगता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन उच्च अनुपालन लागत ने छोटे एवं मध्यम उद्यमों को कारपोरेट रूप अपनाने से रोका है परंतु मालिकाना या भागीदारी फर्म की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी नहीं होती अतः बैंकों द्वारा उनकी साख का आकलन करना कठिन होता है और इसीलिए एसएमई क्षेत्र को कारपोरेट निकायों की तुलना में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं उधार सुविधाएं तुलनात्मक रूप से कम मिलती हैं।

4.1.2 इस परिप्रेक्ष्य में एक नए कारपोरेट स्वरूप की आवश्यकता महसूस की गई जो असीमित व्यक्तिगत देयता के साथ पारंपरिक भागीदारी का विकल्प उपलब्ध कराए। किसी सीमित देयता कंपनी की सांविधिक आधार पर संरचना एक ऐसा विकल्प है जो लचीले, नए एवं कुशल तरीके से संयोजन, संगठन एवं प्रचालन हेतु व्यवसायिक विशेषज्ञता एवं उद्यमिता पहल को सुविधाजनक बनाती है। वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से यूनाईटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरीका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों में सीमित देयता भागीदारियाँ (एलएलपी) विशेषकर सेवा उद्योग या व्यवसायिक कार्यकलापों के लिए अधिक पसंदीदा विकल्प है।

4.1.3 अतः सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने हेतु उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दृष्टि से भारत में व्यावसायिक संगठन के सीमित देयता भागीदारी स्वरूप को अनुमति दी है। संसद ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया जिसे 09 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया। यह 31 मार्च, 2009 को लागू हुआ। संबद्ध नियम 01 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किए गए एवं पहली एलएलपी 02 अप्रैल, 2009 को रजिस्ट्रीकृत की गई।

4.1.4 एलएलपी व्यवसाय निकाय का वह स्वरूप है जो व्यक्तिगत भागीदारों को भागीदारी फर्म में भागीदारों की संयुक्त एवं अनेक देयताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यवसाय की सामान्य स्थिति में भागीदारों की देयता भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों तक नहीं होती। यह कंपनी अपने नाम से किसी संविदा में शामिल हो सकती है या संपत्ति रख सकती है। एलएलपी के लिए सीमित देयता के लाभ के साथ–साथ, मानकों का अनुपालन करना भी आसान है। एलएलपी की कारपोरेट संरचना एवं सांविधिक प्रकटीकरण अपेक्षाएं बाजार में अधिक ऋण सुलभ कराती हैं। व्यवसाय के एलएलपी स्वरूप के प्रारंभ होने से विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं बॉयोटेक्नोलॉजी क्षेत्रों जैसे ज्ञान आधारित उद्योगों में तथा अन्य सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के संबंध में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

4.1.5 दिनांक 11 जून, 2012 से एलएलपी रजिस्ट्रार के कार्य कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा किए जा रहे हैं। व्यक्ति एवं कारपोरेट निकाय, भारतीय या विदेशी, एलएलपी में भागीदार हो सकते हैं। इनमें से कम से कम दो "पदनामित भागीदार" होने चाहिए और न्यूनतम एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई कारपोरेट निकाय भी पदनामित भागीदार हो सकता है और ऐसी स्थिति में कारपोरेट निकाय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पदनामित भागीदार के रूप में कार्य करेगा। एलएलपी को कारपोरेट निकाय का दर्जा प्राप्त है और उसे अपने सदस्यों से अलग विधिक मान्यता प्राप्त होगी और इसमें उत्तराधिकार सतत् होगा। भागीदारों में परिवर्तन से अप्रभावित हुए बिना एलएलपी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है।

4.1.6 सीमित देयता भागिदारियों के लिए लेखाबहियों, प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण और ऋणशोधन विवरण का रखना अपेक्षित है। सीमित देयता भागीदारी स्वैच्छिक रूप से या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश पर बंद की जा सकती है।

4.1.7 पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम एवं उसमें परिवर्तन, यदि कोई किए गए हो, लेखा एवं ऋणशोधन विवरण एवं वार्षिक विवरण किसी भी व्यक्ति द्वारा विहित शुल्क की अदायगी पर देखे जा सकते है। केन्द्र सरकार को एक निरीक्षक की नियुक्ति करके किसी एलएलपी के कार्यों की जांच यदि आवश्यक हो तो करने का अधिकार है।

4.1.8 किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एलएलपी में परिवर्तित किया जा सकता है। कारपोरेट कार्यों जैसे विलय, समामेलन आदि के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

4.1.9 पक्षकारों को परिचालन सुविधा प्रदान करने और उसे बढ़ाने तथा रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्यों को एक स्थान पर करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), ई गवर्नेंस पहल को 11 जून, 2012 से एमसीए–21 के साथ एकीकृत किया गया। इस एकीकरण से एलएलपी फार्मों की फाइलिंग तथा अनुमोदन एमसीए–21 पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है और पक्षकार एलएलपी फार्मों की फाइलिंग जिसमें क्रेडिट कार्ड भुगतान के अतिरिक्त ऑनलाइन भुगतान अथवा नामित बैकों से इंटरनेट बैकिंग का उपयोग शामिल है, के लिए एमसीए–21 की सभी मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

4.1.10 दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 15 नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए गए थे :

(i) सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 में संशोधन हेतु सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (1) और (2) के अधीन जारी दिनांक 12 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557(अ) जारी की गई थी। इन नियमों को सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) नियम, 2018 कहा गया है।

(ii) सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 में संशोधन हेतु सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (1) और (2) के अधीन जारी दिनांक 18 सितंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.896(अ) जारी की गई थी। इन नियमों को सीमित देयता भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 कहा गया है।

4.1.11 दिनांक 30 सितंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में 1,31,774 सीमित देयता भागीदारियाँ रजिस्ट्रीकृत की गईं और उनमें से 1,18,818 सीमित देयता भागीदारियाँ सक्रिय थीं। दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 30 सितंबर, 2018 की अवधि के दौरान 18,048 नई सीमित देयता भागीदारियाँ निगमित की गईं।

अध्याय–V

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और अन्य कानून

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और आयोग की स्थापना

5.1.1 संसद ने भारत में (क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों को रोकने के लिए; (ख) बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बनाए रखने के लिए, (ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, और (घ) बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा व्यापार करने में स्वतंत्रता को सुनिशिचित करने हेतु और उनसे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के उद्देश्यों के साथ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को अधिनियमित किया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के चार स्तंभ, जो एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, जो निम्नलिखित हैं:–

(i) गुटबंदी जैसे प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का निषेध जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रतिबाधित करते हैं और वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन व वितरण सीमित करके तथा सामान्य से अधिक मूल्य निर्धारित करके उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाते हैं;

(ii) प्रभुत्वपूर्ण फर्म के अनुचित व्यवहार का निषेध जो अपनी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति से बाजार को प्रतिबंधित कर सकते हैं और अनुचित व भेदभावपूर्ण शर्तें रख सकते हैं;

(iii) प्रतिस्पर्धा बाजारों की सुरक्षा के लिए बड़े निगमों के संयोजन (संयोजनों) का नियमन; और

(iv) प्रतिस्पर्धा–समर्थन को अनिवार्य करना।

5.1.2 आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में की गई और इसका प्रवर्तन और नियामक शक्तियां दिनांक 20 मई, 2009 और 1 जून, 2011 को क्रमशः एंटी–ट्रस्ट प्रवर्तन और संयोजनों के विनियमन से संबंधित अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के अधीन प्राप्त हुआ है।

5.1.3 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का गठन मार्च, 2009 में अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन हेतु किया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के गठन का प्रावधान है जिसमें एक अध्यक्ष और न्यूनतम दो तथा अधिकतम छह सदस्य हैं। संघ सरकार ने अप्रैल, 2018 में यह निर्णय लिया है कि सीसीआई में 3 सदस्य होंगे। अतः इस संशोधित गठन के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई व उनके निपटान के लिए तथा आयोग के निर्णय के परिणामस्वरूप मिलने वाले प्रतिपूर्ति के दावों का निर्णय करने के लिए अपील अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के संशोधन के अनुसरण में, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पेट) के कार्यों को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के साथ विलय कर दिया गया है। इस प्रकार, पूर्ववर्ती अधिकरण (एनसीएलएटी) का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में इस आयोग के आदेशों के विरूद्ध सभी प्रथम अपीलें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष रखी जाती हैं।

5.1.4 दिनांक 30 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का संयोजन निम्नानुसार है:

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता – अध्यक्ष

2. श्री ऑगस्टाइन पीटर – सदस्य

3. श्री यू.सी.नाहटा – सदस्य

आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

5.2.1 दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से आज की तारीख तक की अवधि के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की स्थिति निम्नलिखित है:

क) प्रवर्तन कार्यकलाप

5.2.2 दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से आज की तारीख तक की अवधि के दौरान आयोग को धारा 19(1)(ख) के अधीन नौ (9) संदर्भ मामलों के अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1)(क) के अधीन सैत्तालीस (47) मामले प्राप्त हुए हैं। आयोग ने इस अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन चार (4) स्वप्रेरित मामले भी शुरू किए हैं। आयोग ने महानिदेशक द्वारा अधिनियम की धारा 26(1) के अधीन चौबीस (24) मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान, आयोग ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 26(2) के अधीन प्रथमदृष्टया स्तर पर पचास (50) मामलों का भी निर्णय किया है।

5.2.3 दिनांक 20 मई, 2009 से 30 नवंबर, 2018 के बीच प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन कुल नौ सौ चौरानवे (994) मामले प्राप्त हुए हैं। आयोग ने आठ सौ पांच (805) मामलों का अंतिम रूप से निपटान किया है। महानिदेशक, सीसीआई को जांच के लिए कुल चार सौ अठारह (418) मामले भेजे गए हैं। महानिदेशक, सीसीआई ने तीन सौ आठ (308) मामलों के संबंध में जांच रिपोर्टें प्रस्तुत की है। शेष मामलों की जांच चल रही है।

5.2.4 दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 30 नवंबर, 2018 के दौरान, आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 27, 48 और 43क के अधीन 39 मामलों में कुल 686.58 करोड़ रूपये की कुल शास्ति लगाई है।

ख) संयोजन

5.2.5 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') में संयोजन (विलयन और अधिग्रहण) के नियमन संबंधी प्रावधानों को दिनांक 4 मार्च, 2011 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया और यह दिनांक 1 जून, 2011 से प्रभावी हुआ। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अधीन दिए गए अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दिनांक 11 मई, 2011 को "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन संबंधी व्यापार संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियमन 2011 (इसके बाद संयोजन विनियमन कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया। इन विनियमनों को दिनांक 23 फरवरी, 2012, 04 अप्रैल, 2013, 28 मार्च, 2014, 01 जुलाई, 2015 और 07 जनवरी, 2016 और 09 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया है।

5.2.6 आयोग को दिनांक 01 दिसंबर, 2017 से 30 नवबंर, 2018 की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) (जिसमें धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नोटिस शामिल है) (प्ररूप–I और II फाइलिंग) के अधीन उन्नासी (79) नोटिस प्राप्त हुए हैं। आयोग ने इस अवधि के दौरान सत्तर (70) नोटिसों में अंतिम निर्णय पारित किया है।

5.2.7 दिनांक 01 जून, 2011 और 30 नवंबर, 2018 के बीच आयोग में प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 और 6 के अधीन कुल छह सौ पच्चीस (625) संयोजन नोटिस (धारा 6(5) के अधीन 10 नोटिसों सहित) दायर किए गए। इनमें से, आयोग द्वारा छह सौ बारह (612) नोटिसों (धारा 6(5) के अधीन 10 नोटिसों सहित) का अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया है।

5.2.8 वर्ष के दौरान, आयोग ने ऐसे संयोजनों की समीक्षा की, जिसने उपभोक्ताओं के साथ–साथ परंपरागत रूप में अर्थव्यवस्था और नए आर्थिक क्षेत्र जैसे कि कृषि, दूरसंचार, रसायन और नये आर्थिक क्षेत्रों जैसे ई–कॉमर्स मंच और खुदरा आदि को प्रभावित किया था। दो संयोजन मामलों अर्थात् बेअर / मोनसेंटो और लीनडे / प्रैक्ज़ेयर आईएनसी., में आयोग ने वैश्विक प्रचलन के अनुसरण में अधिकार वापस लेने का प्रस्ताव दिया है।

अन्य कार्यकलाप और कार्यक्रम

5.3.1 वार्षिक दिवस समारोहः प्रत्येक वर्ष 20 मई को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, आयोग द्वारा विधि, वित्त, अर्थशास्त्र और राजनीति के क्षेत्रों से प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, कारपोरेट जगत के प्रतिनिधि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग और कानून के दिग्गज व्यक्ति शामिल होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री राजीव महर्षि ने 9वां वार्षिक दिवस, 2018 के अवसर पर व्याख्यान दिया।

5.3.2 क्षमता–निर्माण पहलः सीसीआई ने भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के सहयोग से जून, 2018 में आयोग के सीधी भर्ती से आए अधिकारियों के लिए 12 दिनों का समग्र आवासीय प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इस प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 17 अधिकारियों ने भाग लिया था। आयोग ने 05 नवबंर, 2018 को आईआईसीए में पहले सीसीआई चेयर की स्थापना की जो इसके वेतन एवं अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए 1.00 करोड़ के वार्षिक अनुदान सहित 5.00 करोड़ के एकमुश्त वृत्ति अनुदान / राशि के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए की गई थी। 05 नवबंर, 2018 को सीसीआई के अध्यक्ष और आईआईसीए के डीजी एंड सीईओ ने संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। सीसीआई चेयर की स्थापना का लक्ष्य सीसीआई और आईआईसीए के बीच नए आर्थिक बाजार के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा कानून, अर्थशास्त्र और नीति के क्षेत्र में और क्षमता–निर्माण हेतु पारस्परिकता, सर्वोत्तम व्यवहार और पारस्परिक सहयोग के आधार पर ज्ञान को बढाने के लिए सहयोग करना है।

5.3.3 ईयू–भारतीय प्रतिस्पर्धा सहयोग परियोजनाः ईयू–भारतीय प्रतिस्पर्धा सहयोग परियोजना को वर्तमान वर्ष के दौरान आरंभ किया गया है। यह परियोजना 5 वर्षों अर्थात् 2018 से 2022 तक परिचालन में रहेगी। इस परियोजना में तीन क्षमता–निर्माण कार्यकलाप अर्थात् वार्षिक प्रतिस्पर्धा सप्ताह कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन विद्यालय और वार्षिक प्रतिनियुक्ति कार्यकलाप शामिल होंगे। ब्रुशेल्स में 2–13 जुलाई, 2018 के दौरान ग्रीष्मकालीन प्रतिस्पर्धा विद्यालय आयोजित किए गए जिसमें आयोग के 5 अधिकारियों ने भाग लिया था। दिसंबर, 2018 में नई दिल्ली में वार्षिक प्रतिस्पर्धा सप्ताह कार्यक्रम होना निर्धारित है।

5.3.4 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में समग्र संशोधनः प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के दौरान हुए अनुभवों और उस दौरान सामना की गई कठिनाइयों के आधार पर, आयोग ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अधिनियम में समग्र संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य इस अधिनियम को अधिक स्पष्ट बनाना है और साथ ही कानून के कार्यान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान करना है। इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति का गठन किया गया है, जो वर्तमान में अधिनियम की समीक्षा कर रही है।

5.3.5 डिजीटल बाजार संबंधी विचार मंच (थिंक टैंक): भारत में डिजीटल अर्थव्यवस्था में तेजी से

बदलते बाजार और नीति को देखते हुए, आयोग ने डिजीटल बाजार संबंधी विचार–मंच (थिंक टैंक) का गठन किया है जिससे निरंतर आधार पर बाजार, तकनीकी और नीति–अविश्वास के अंतरापृष्ठ को समझने में विशेषज्ञों के विचार प्राप्त हो सके। इस विचार–मंच (थिंक टैंक) को शुरूआती स्तर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए गठित किया गया है।

सम्मेलन

5.3.6 (क) आईसीएन वार्षिक सम्मेलन, 2018: आयोग ने 21–23 मार्च, 2018 के दौरान नई दिल्ली में "आईसीएन वार्षिक सम्मेलन, 2018" का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के लगभग 500 व्यवसायिकों ने भाग लिया, जिसमें प्रतिस्पर्धा एजेंसियों के प्रमुख, विधि और आर्थिक व्यवसायिकों से युक्त प्रतिनिधि और हितधारक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शैक्षणिक समुदाय शामिल थे। माननीय, विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और माननीय दूरसंचार (स्वंतत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा और रेल राज्य मंत्री ने विदाई भाषण दिया था। सीसीआई ने सम्मेलन का आयोजक होने के नाते, कार्टल प्रवर्तन और प्रतिस्पर्धा के संबंध में विशेष रिपोर्ट बनाई थी जिसे सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष सीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस परियोजना में भारत में कार्टल परिवर्तन के संबंध में अध्ययन और नए क्षेत्राधिकारों के लिए सीख शामिल हैं। इस सम्मेलन का समापन सीसीआई द्वारा सुपीरिनटेनडेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कामर्स, कोलंबिया को 2019 में अगले आईसीएन वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए बैटन सौंपने के साथ हुआ था।

5.3.7 (ख) प्रतिस्पर्धा कानून अर्थशास्त्र संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा कानून अर्थशास्त्र संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। इस सम्मेलन से देश के एंटी–ट्रस्ट अर्थशास्त्रियों का महत्वपूर्ण समूह तैयार करने और इस विषय में रूचि को बढाने और इसको बनाए रखने का प्रयास है। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्यरत विद्वान, व्यवसायरत, शैक्षणिक समुदाय और विशेषज्ञों को एक साथ मिलाता है और भावी एंटी–ट्रस्ट अर्थशास्त्रियों को मार्गदर्शन देता है। आयोग ने 05 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में "प्रतिस्पर्धा कानून का अर्थशास्त्र" संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया था। इस सम्मेलन के दौरान छह पेपर प्रस्तुत किए गए थे जिसमें प्रतिस्पर्धा कानून का अर्थशास्त्र से संबंधित मामलों की बड़ी श्रृंखला शामिल थी। "विलयन नियंत्रणः व्यवसायरत का दृष्टिकोण" पर विशेष सत्र आयोजित किया गया था।

5.3.8 (ग) "स्वास्थ्य देखभाल और औषधीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के मामलों" पर तकनीकी कार्यशाला: आयोग ने 28–29 अगस्त, 2018 के दौरान स्वास्थ्य देखभाल और औषधीय क्षेत्र की महत्ता पर विचार करते हुए, "स्वास्थ्य देखभाल और औषधीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के मामले" पर तकनीकी कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला में स्वास्थ्य देखभाल और औषधीय उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता, सिविल सोसायटी संगठन, विनियामक और स्वास्थ्य देखभाल विचार मंच के सभी हितधारक समूह के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इन मुद्दों पर अपने विचार रखे थे। इस कार्यशाला में उठने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को 'वहन योग्य स्वास्थ्य सेवा के लिए बाजार तैयार करना' शीर्षक नामक नीति नोट के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। इस नीति नोट का उद्देश्य वैध जन–नीति के उद्देश्यों को नीचा दिखाना या उन पर प्रश्न उठाना नहीं था अपितु यह निर्धारित करना था कि इन उद्देश्यों से संबंधित परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किस सीमा तक चयन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए। इस नीति नोट को

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, औषध विभाग और नीति आयोग के साथ साझा किया गया है।

5.3.9 (घ) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना: सीसीआई द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(i) अध्यक्ष, सीसीआई ने 4–8 दिसंबर, 2017 के दौरान पेरिस में आयोजित ओईसीडी वर्किंग पार्टी, प्रतिस्पर्धा समिति बैठकें और प्रतिस्पर्धा संबंधी वैश्विक मंच में भाग लिया था।

(ii) श्री अगस्टाइन पीटर, सदस्य ने 11–13 अप्रैल, 2018 के दौरान वाशिंगटन, डीसी में '66 एनुअल एंटी ट्रस्ट स्प्रिंग मीटिंग ऑफ अमेरिकन बार एसोशिएसन' में भाग लिया था।

(iii) श्री यू.सी. नाहटा, सदस्य, ने 4–8 जून, 2018 के दौरान पेरिस में आयोजित ओईसीडी वर्किंग पार्टी (डब्ल्यूपी) और प्रतिस्पर्धा समिति बैठकों में भाग लिया था।

(iv) सचिव, सीसीआई ने 31 जुलाई, 2018 से 01 अगस्त, 2018 के दौरान 2018 चाइना कॉम्पिटिशन फोरम में भाग लिया था और विलयन नियंत्रण में नवाचार संबंधी गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुई थी। उन्होंने 18–19 अक्तूबर, 2018 के दौरान प्रतिस्पर्धा कानून और अर्थशास्त्र संबंधी 5वें लिसबन सम्मेलन में भी भाग लिया था।

(v) सीसीआई के अधिकारियों ने ओईसीडी, आईसीएन और अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठी में भाग लिया है।

(vi) आयोग के अधिकारियों ने कॉम्पिटिशन ब्यूरो कनाडा और यूएस फेयर ट्रेड कमिश्न के प्रतिनियुक्ति कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

अधिवक्तृता कार्यकलाप

5.4.1 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 49 की उपधारा (3) के अधीन अधिदेश के अनुसरण में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) संगोष्ठियां आयोजित करता है और विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श भी करता है, और समय–समय पर विभिन्न अर्थशास्त्र संबंधी वैचारिक मुद्दों के संबंध में हितधारकों द्वारा आयोजित विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भी भाग लेता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के सहयोग से सात (07) मूट कोर्ट प्रतिस्पर्धा भी आयोजित किए हैं।

5.4.2 प्रतिस्पर्धा कानून संबंधी रोड शो: आयोग ने अधिवक्ता प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए रोड शो जैसे नए पहल की शुरूआत की है जिससे लोगों में इसके अस्तित्व के विषय में जानकारी को बढाया जा सके और प्रभावी रीति से प्रत्येक क्षेत्र के हितधारकों के बड़े समूह तक इसे पहुंचाया जा सके। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को रोड शो आयोजित करने के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में चयनित किया गया है। क्रमशः 15 अक्तूबर, 2018 और 05 नवंबर, 2018 को मुंबई और दिल्ली में एक–एक रोड शो आयोजित किए गए। मुंबई रोड शो का उद्घाटन सचिव, एमसीए द्वारा किया गया और प्रतिस्पर्धा कानून और इसकी बारीकियों के महत्व के विषय में अवगत कराने के लिए प्रतिष्ठित कारपोरेट क्षेत्रों के सीईओ की सभा आयोजित की गई। दिल्ली रोड शो को 'सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन' के रूप में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन माननीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू, विधि एवं वित्त व्यवसायिक, अधिवक्ता, एकेडमिशियन और अन्य हितधारकों के वरिष्ठ नीति निर्माताओं ने भाग लिया।

5.4.3 प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन टूल कीटः आयोग ने नीतियों, विधानों, नियमों और विनियमनों आदि के समग्र प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन में मार्गदर्शन के लिए 'प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन टूल कीट' बनाया है। यह टूल कीट (क) भारत में विभिन्न कानूनों/नीतियों में प्रतिस्पर्धा शिकायतों की पहचान करने; (ख) गैर–प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढ़ाने; (ग) नीति निर्माताओं के विषय में सूचित करने; (घ) नीति प्रतिपादन के स्तर पर अंतरावलोकन को प्रोत्साहित करने और; (ड़) प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन संबंधी विभिन्न संस्थानों के क्षमता निर्माण के प्रति टूल के रूप में कार्य करने के लिए अत्यंत सुविधाजनक और उपयोगी है।

5.4.4 सोशल मीडिया में उपस्थितिः आयोग ने, हितधारकों के वृहद विस्तार तक पहुंचने के लिए और इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए फेसबुक और लिंकडिन खाते शुरू किए हैं जिसमें आयोग द्वारा हाल ही में दिए आदेशों और अन्य कार्यकलापों के संबंध में नियमित पोस्ट अपलोड किए जाते हैं। वर्तमान में तीनों महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंच अर्थात् फेसबुक, टविटर और लिंकडिन में आयोग की उपस्थिति है।

5.4.5 नई पहलेंः उपरोक्तानुसार निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि, आयोग ने 01 दिसंबर, 2017 से आज की तारीख तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित नई पहलें शुरू की हैं:

(i) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में समग्र संशोधन

(ii) ईयू–भारतीय प्रतिस्पर्धा सहयोग परियोजना

(iii) प्रतिस्पर्धा कानून संबंधी रोड शो

(iv) डिजीटल बाजार पर विचार मंच

(v) 'वहन योग्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए बाजार तैयार करना' शीर्षक संबंधी स्वास्थ्य देखभाल और औषधीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर नीति पत्र

(vi) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) में प्रतिस्पर्धा कानून के संबंध में सीसीआई चेयर की स्थापना

(vii) सोशल मीडिया उपस्थिति को बढ़ाना

II. अन्य कानून

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

5.5.1 चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसाय को विनियमित करने तथा इस उद्देश्य से एक संस्थान स्थापित करने के लिए वर्ष 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम बनाया गया। तदनुसार, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जुलाई, 1949 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की स्थापना की गई।

5.5.2 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करना, परीक्षा का आयोजन और नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना;

(ii) व्यवसाय की प्रैक्टिस के लिए अर्हता प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा उसका प्रकाशन;

(iii) व्यवसाय के विकास के लिए कार्यकलाप चलाना; और

(iv) सदस्यों की व्यावसायिक अर्हताओं के स्तर एवं मानक का विनियमन एवं अनुरक्षण करना। यह संस्थान पूरे देश में परीक्षाएं आयोजित करता है, कोचिंग देता है और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है जिससे विद्यार्थी इस व्यवसाय संबंधी परीक्षा को पास कर सकें।

5.5.3 संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन इसकी परिषद द्वारा किया जाता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे गए कार्यों का भी निर्वहन करती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 32 व्यक्ति होते हैं और 8 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

5.6.1 लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम को वर्ष 1959 में लागत एवं संकर्म लेखाकार व्यवसाय को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया और इस उद्देश्य हेतु लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान को तदनुसार मई, 1959 में स्थापित किया गया। बाद में इस संस्थान के नाम को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान में बदल दिया गया।

5.6.2 अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद को सौंपी गयी है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित की जाती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 15 और केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत अधिकतम 5 व्यक्ति शामिल हैं।

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

5.7.1 कंपनी सचिव व्यवसाय को विनियमित तथा विकसित करने और इस उद्देश्य से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना करने के लिए वर्ष 1980 में कंपनी सचिव अधिनियम बनाया गया। जनवरी, 1981 में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना की गई।

5.7.2 कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अतंर्गत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का दायित्व भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद, जिसका गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया जाता है, में निहित है। उक्त परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 15 व्यक्ति तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामित अधिकतम 5 व्यक्ति होते हैं।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860

5.8.1 वर्ष 1860 में अधिनियमित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है ताकि ऐसी सोसाइटियों की कानूनी स्थिति को बेहतर किया जा सके। इस अधिनियम के अधीन उपयोगी ज्ञान के प्रसार हेतु साहित्य, विज्ञान, या ललितकला को बढ़ावा देने या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित सोसाइटियों को अपने संस्थान के संगम ज्ञापन (एमओए) को अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों के समक्ष फाइल करके रजिस्टर करवाना अपेक्षित है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 समस्त भारत में लागू है जब तक कि इसे संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा अलग से संशोधित अथवा निरस्त न किया जाए। अनेक राज्यों ने अपनी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया है और यह अधिनियम राज्यों के संबंधित क्षेत्राधिकार में यथासंशोधित रूप में लागू है। इन संशोधनों में संबंधित राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण शामिल है।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

5.9.1 भागीदारों द्वारा एक दूसरे के साथ तथा अन्य पक्ष के साथ आपसी भागीदारी के अलावा भागीदारियों से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के उद्देश्य से वर्ष 1932 में भारतीय भागीदारी अधिनियम का अधिनियमन किया गया। अधिनियम में इस उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रारों

के पास फर्मों के रजिस्ट्रीकरण का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के अधीन आयकर अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित आयकर अधिकारियों के पास फर्मों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अलग से उपबंध हैं।

कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

5.10.1 वर्ष 1951 में कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम का अधिनियमन किया गया था। इस अधिनियम के अधीन कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम या किसी अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी या कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद को अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धर्मार्थ उद्देश्य से स्थापित किसी निधि में दान कर सकती है।

अध्याय–VI

परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजना

6.1.1 एमसीए रजिस्ट्रीकरण और कंपनी निगमन संबंधी सेवाओं के लिए अद्योपांत ई–गवर्नेंस परियोजना – एमसीए21 का परिचालन कर रहा है। यह परियोजना कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), प्रादेशिक निदेशक (आरडी), एमसीए मुख्यालय और शासकीय समापक (ओएल) कार्यालयों में कार्यान्वित की गई है। एमसीए21 प्रणाली हितधारकों को अधिक गति, विश्वसनीयता और बारंबार सेवा सुपुर्दगी के साथ सभी एमसीए21 सेवाओं के लिए आसान और सुविधाजनक प्रयोग और सुरक्षित पहुंच तथा सुपुर्दगी स्थल उपलब्ध करवाती है। इससे मंत्रालय की कार्यपद्धति में पारदर्शिता, तीव्रता और कुशलता आई है।

6.1.2 हितधारकों को कुशल और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है और मंत्रालय ऑनलाइन सेवा सुपुर्दगी में सर्वोत्तम व्यवहार शुरू कराने में लगातार प्रयासरत रहा है। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजन (एनईजीपी) के तहत एमसीए21 को एक सर्वाधिक सफल मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में पहचान मिली है। यह पोर्टल कटिंग–एज सूचना प्रोद्योगिकी का प्रयोग करते हुए परंपरागत कागज पर आधारित प्रणालियों को कागज रहित प्रणाली में बदलने के लिए एक मॉड्ल के रूप में माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सभी आरओसी, आरडी कार्यालयों और मुख्यालय में अद्यतन तकनीक के साथ हार्डवेयर और उन्नत एप्लीकेशन स्थापित किए गए हैं।

6.1.3 विश्व बैंक ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 को अपनी नवीनतम डूईंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर, 2019) जारी की थी। विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकित 190 देशों के बीच भारत ने 2017 में अपने 100वें स्थान से 23 स्थानों का उछाल दर्ज करके 77वें स्थान पर पहुंच गया है। डूईंग बिजनेस इंडेक्स के 10 सकेंतकों में से 6वें स्थान तक का सुधार किया है। 'स्टार्टिंग ए बिजनेस' संकेतक में, भारत ने पंजीकरण पूर्व और पंजीकरण औपचारिकताओं के सरलीकरण (प्रकाशन, लेख प्रमाणन, निरीक्षण और अन्य अपेक्षाएं) दवारा विशेष रूप से बहु–आवेदन प्रपत्रों को एक सामान्य निगमीकरण प्रपत्र में पूर्णतया अंतर्विष्ट करके वर्ष 2017 में अपने 156वें स्थान से वर्ष 2018 में 137वें स्थान तक सुधार किया है। पंजीकरण पश्चात् प्रक्रियाओं (कर पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा पंजीकरण, लाईसेंसिंग) को हटाकर अथवा सरल करके भी सुधार किए थे। एमसीए "स्टार्टिंग ए बिजनेस" के सरलीकरण की इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग रहा है।

महत्वपूर्ण अद्यतन परियोजना

क. नाम आरक्षण के लिए "रन–रिजर्व यूनिक नेम" वेव सेवा प्रारंभ करना।

6.2.1 मंत्रालय ने नाम आरक्षण के लिए कंपनियों के लिए 26 जनवरी, 2018 और एलएलपी के लिए 2 अक्टूबर, 2018 से "नेम रिज़र्वेशन" प्रक्रिया को त्वरित, सुगम, सरल और अनेक प्रक्रियाओं को कम करने के लिए "रन–रिज़र्व यूनीक नेम" नामक एक वेब सेवा आरंभ की है।

ख. डीआईएन के आबंटन की री–इंजीनियरिंग प्रक्रिया

6.2.2 किसी व्यैक्तिक की निदेशक (डिन न होने की स्थिति में) के रूप में नियुक्ति के समय ही समायोजित स्पाईस ई–प्ररूप के द्वारा आबंटन करने के माध्यम से डिन के आबंटन की प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग करना।

ग. कंपनी निगमन के लिए एमसीए शुल्क की छूट

6.2.3 री–इंजीनियरिंग की सरकारी प्रक्रिया वहां कार्यान्वित की गई है जहां दस लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली सभी कंपनियों अथवा उन कंपनियों जिनकी शेयरपूंजी नहीं है किंतु उनके सदस्य बीस तक हैं, के निगमन के लिए शून्य शुल्क है।

घ. आईएफएससी तथा छूट अधिसूचनाओं के कारण ई–प्ररूप का परिनियोजन, कंपनी अधिनियम में संशोधन, सीआरएल–1, सीओडीएस का कार्यान्वयन

6.2.4 आईएफएससी अधिसूचना से संबंधित परिवर्तनों, छूट अधिसूचना संबंधी परिवर्तनों, और सीआरएल–01 के परिनियोजन के साथ संशोधन (कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को सहायक कंपनियों के अनेक पटलों के संबंध में सूचना) और फरवरी–मार्च, 2018 में सीओडीएस (विलंब योजना, 2018 की माफी) के कारण 16 ई–प्ररूप परिवर्तन परिनियोजित किए गए थे।

ङ सभी कंपनियों के निदेशकों के लिए ई–केवाईसी ड्राइव

6.2.5 एमसीए ने एक अनिवार्य ई–प्ररूप प्रारंभ किया है अर्थात् उन सभी डीआईएन धारकों के लिए डीआईआर–3 केवाईसी जिन्हें 31 मार्च, 2018 को अथवा इससे पूर्व डीआईएन आवंटित किए गए हैं और उनका डीआईएन अनुमोदन की स्थिति में है। इस ड्राइव का उद्देश्य व्यक्तिगत डीआईएन धारकों का सत्यापन करना और गैर–विद्यमान/नकली डीआईएन धारकों को अलग करना है तथा अंततः निदेशकों की ई–रजिस्ट्री का परिमार्जन करना है।

6.2.6 केवाईसी प्रक्रिया में अतिरिक्त ब्यौरा जैसा आधार, पासपोर्ट, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और पर्सनल ई–मेल आईडी प्राप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हितधारक, जिनके पास आधार नहीं है उन्हें एक अपवाद प्रबंधन प्रदान किया गया है।

6.2.7 डीआईआर–3 केवाईसी प्ररूप को बिना किसी शुल्क के 14 जुलाई, 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक फाइलिंग प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया गया था। एमसीए ने अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2018 तक 15 दिन के लिए बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए 15 सितंबर, 2018 के पश्चात् डीआईआर केवाईसी फाइलिंग के लिए पूर्व में 5000 रुपये निर्धारित शुल्क को 5 अक्तूबर, 2018 तक 500 रुपये तक घटा दिया गया था। इसके पश्चात्, हितधारक निष्क्रिय डीआईएन को क्रियाशील करने के लिए 5000 रुपये के शुल्क का भुगतान करके किसी समय डीआईआर केवाईसी फाइल कर सकते हैं।

6.2.8 रजिस्ट्री में लगभग 33 लाख डीआईएन हैं और लगभग 15.88 लाख डीआईएन धारकों ने 30 नवंबर, 2018 तक डीआईआर–केवाईसी फाइल कर दिए हैं।

च. एलएलपी (एफआईएलएलआईपी) निगमन के लिए समेकित प्ररूप

6.2.9 तत्कालीन प्ररूप–2 (निगमीकरण दस्तावेज़ और प्रयोक्ता का विवरण) को प्रतिस्थापित करते हुए एक एफआईएलएलआईपी (सीमित दायित्व भागीदारी

के समावेशन के लिए प्ररूप) नामक एक नया समेकित प्ररूप आरंभ किया है जिसमें 3 सेवाओं को मिलाते हुए अर्थात्

(i) नाम आरक्षण

(ii) नामित भागीदारी पहचान संख्या (डीपीआईएन / डीआईएन) का आवंटन

(iii) एलएलपी का निगमन

इसे 2 अक्तूबर, 2018 को एमसीए–21 प्रणाली में कार्यान्वित किया गया है

छ. "नाम आरक्षण" के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र (सीआरसी) और एलएलपीएस के लिए "निगमीकरण" स्थापित करना।

6.2.10 कंपनियों के "नाम आरक्षण" और "निगमीकरण" के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र (सीआरसी) सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। चूंकि, सीआरसी का प्रचालन स्थायी कर दिया गया है, गत दो वर्षों से, मंत्रालय ने एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी) के लिए "नाम आरक्षण" और "निगमीकरण" के लिए समान जीपीआर कवायद कर ली है और इसे सीआरसी के प्रचालन के अंतर्गत लाया गया है।

6.2.11 सभी हितधारकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" प्रदान करने के मंत्रालय के उद्देश्य के अनुसरण में जीपीआर कवायद कर ली है और इसके परिणामस्वरूप निगमीकरण संबंधी अनुप्रयोगों, नियमों के अनुप्रयोग में एकरूपता, और स्वविवेक को समाप्त करने की अपेक्षाकृत अधिक त्वरित गति प्राप्त हुई है। इसे 2 अक्तूबर, 2018 को प्रचालन में लाया गया है।

6.2.12 प्रणाली में स्थायित्व, फाइलिंग की बढ़ी हुई मात्रा और संवर्धित अनुपालन के प्रचालन आंकड़े निम्नलिखित हैं

तालिका 6.1

1 दिसंबर, 2017 से 30 नवंबर, 2018 की अवधि में फाइलिंग की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	प्रणाली के माध्यम से की गई कुल फाइलिंग	62,45,181
2	ऑनलाइन पंजीकृत कंपनियों की संख्या	1,17,710
3	जारी किए गए डीआईएन	2,80,857
4	कंपनी के रिकॉर्ड जो ऑनलाइन देखे गए	23,60,984
5	दायर तुलन पत्रों की संख्या	10,08,949
6	दायर वार्षिक विवरणियों की संख्या	8,83,477
7	एक दिन में (15 नवंबर, 2018 को) दायर किए गए दस्तावेजों की अधिकतम संख्या	1,22,436
8	एकत्र किए गए ई-स्टांप शुल्क की राशि (करोड़ रुपये	199,13,77,103
9	डीएससी के साथ रजिस्ट्रीकृत नोडल अधिकारियों की संख्या	100
10	डीएससी के साथ रजिस्ट्रीकृत प्राधिकृत बैंक कर्मियों और व्यवसायिकों की संख्या	30,447
11	पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या	12,96,767

6.2.13 एमसीए परियोजना के अधीन सेवा की प्रदायगी के लिए लगने वाले समय में महत्वपूर्ण बेहतरी देखी गई है जो निम्नलिखित **तालिका 6.2** में उपलब्ध है:

तालिका 6.2
एमसीए21 सेवा मैट्रिक्स के अधीन सेवा सुपुर्दगी में कुशलता

सेवा का प्रकार	एमसीए21 से पहले	एमसीए21 के आरंभ के पश्चात्
नाम अनुमोदन	7 दिन	1-2 दिन
कंपनी निगमन	15 दिन	1-3 दिन
नाम में परिवर्तन	15 दिन	3 दिन
प्रभार सृजन/संशोधन	10-15 दिन	तत्काल
प्रमाणित प्रति	10 दिन	2 दिन

अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण

6.3.1 अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित डाटा निम्नलिखित **तालिका 6.3** में उपलब्ध है:

तालिका 6.3
अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण

सेवा का प्रकार	एमसीए21 से पहले	एमसीए21 के पश्चात्
वार्षिक विवरणी	60 दिन	तत्काल
तुलन-पत्र	60 दिन	तत्काल
निदेशकों में परिवर्तन	60 दिन	तत्काल
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन	60 दिन	1-3 दिन
प्राधिकृत पूंजी में बढोत्तरी	60 दिन	1-3 दिन
सार्वजनिक दस्तावेज की जांच	प्रत्यक्ष उपस्थिति	ऑनलाइन

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के कार्यकलाप

6.4.1 प्राधिकरण को अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर आदि की पुनः अदायगी करने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

6.4.2 **वापसी सम्बंधि कार्यकलाप:** केंद्रीय सरकार ने 5 सितंबर, 2016 को शेयरों अदावाकृत लाभांशों, डिबेंचरों आदि से संबंधित दावों की पुनःअदायगी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और पुनःअदायगी) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। प्राधिकरण शेयर अंतरित करने के लिए दो डीमैट खाते–एक खाता प्रति जमाकर्ता, खोले गए हैं।

6.4.3 इस निधि में राशि जमा करना: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 31 अक्तूबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, आईईपीएफ में 304.05 करोड़ रुपये अंतरित कर दिए गए हैं जिससे कुल अंतरण राशि 2,311.47 करोड़ रुपये हो गई है। 31 अक्तूबर, 2018 तक 1,477 कंपनियों ने इन डीमेट खातों में 57.15 करोड़ रुपये के शेयर अंतरित कर दिए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 2018 तक, आईईपीएफ के लिए शेयरों पर लाभांश के रूप में 125.57 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो गई है।

6.4.4 दावों की पुनःअदायगी: प्राधिकरण के समक्ष पुनःअदायगी दायर करने के लिए निदेशक, प्राधिकरण की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इनका निपटान कंपनियों द्वारा दावों के सत्यापन के पश्चात् किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा दायर किये गए दावों के विवरण, सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति, दावों का निपटान और राशि व शेयरों की पुनःअदायगी निम्न प्रकार है:–

मद	प्रारंभ से 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 तक	कुल
दायर किए गए दावों की संख्या	4,369	9,364	13,733
प्राप्त सत्यापन रिपोर्टों की संख्या	1,415	4,132	5,547
निपटाए गए दावों की संख्या	641	408	1,049
पुनः अदा की गई राशि (रु)	1,20,33,108	45,95,384	1,66,28,492
पुनः अदा किए गए शेयरों की संख्या	--	82575	82575

6.4.5 प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग: इस समय, दावा निपटान प्रक्रिया मैनुअल और पेपर आधारित है जिसके कारण दावा निपटान की निगरानी करना कठिन है। मौजूदा दावा निपटान प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के माध्यम से प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिवों की एक समिति कठित की गई थी। इस समिति ने मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की थी और यह सिफारिश की है कि समस्त प्रक्रिया को कंपनियों द्वारा दावों के ई–सत्यापन के साथ ऑनलाइन, दावाकर्ता के ऑनलाइन पैन आधारित सत्यापन इत्यादि किया जाना चाहिए। इस समिति ने मौजूदा नियमों तथा कंपनियों और दावाकर्ताओं द्वारा दायर किए जा रहे ई–प्ररूपों की भी समीक्षा कर ली है। दावाकर्ताओं और कंपनियों की सुविधा के लिए, इस समिति ने प्ररूपों में संशोधनों और नियमों में संशोधन का सुझाव दिया था। इस समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और एमसीए–21 प्रणाली में संशोधन का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

निवेशक जागरूकता संबंधी कार्यकलाप

6.5.1 व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी): आईएपी सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तथा व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों और छोटे कस्बों में आयोजित किए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 35,000 आईएपी सीएससी ई–गवर्नेंस के माध्यम से तथा 1,000 आईएपी व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। 01 अप्रैल, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 तक की अवधि के

दौरान सीएससी ई–गवर्नेंस और पीआई ने क्रमशः 2969 और 451 आईएपी आयोजित किए हैं।

6.5.2 भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान के माध्यम से निवेशक जागरुकता कार्यक्रमः आईआईसीए द्वारा नई संचार सामग्रियां जैसे निवेशक जागरुकता पर बहुभाषी मॉड्यूल, प्रस्तुतिकरण सामग्री जैसे टीवी व्यवसायिक कार्यक्रम, रेडियो/विज्ञापन गीत/विज्ञापन, सफेद पट्ट एनिमेशन, ब्लॉग, व्लोग, यू–ट्यूब वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। इस संस्थान ने आवश्यकता मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रव्यपी सर्वेक्षण किया है यह संस्थान इस प्रयोजन के लिए अपने द्वारा नियुक्त संस्थान व्यक्तियों के माध्यम से कुछ आईएपीओ भी आयोजित करेगा। इस संस्थान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण पर पीठ की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

6.5.3 रेडियो पर विज्ञापन–गीत का प्रसारण, टीवी पर स्क्रॉल मैसेज, और समाचार पत्र विज्ञापनः निवेशक जागरुकता के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने, कंपनियों के लिए मैसेज, फ्रॉडस्टर्स, और आईईपीएफ के साथ दावों की फाइलिंग के लिए बहुभाषी रेडियो विज्ञापन तैयार कर लिए गए हैं। यह बहुभाषी रेडियो विज्ञापन समस्त देश में निजी एफएम रेडियो चैनलों, एआईआर एफएम और विविध भारती पर प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय टेलीविज़न पर स्क्रॉल मैसेज के माध्यम से जागरूकता मैसेज, प्राधिकरण और निवेशक के कार्यकलापों के बारे में समय समय पर विज्ञापन जारी किए जाते हैं। मैट्रो स्टेशनों, डाक घरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन के लिए निवेशक जागरूकता पर पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं।

6.5.4 निवेशक शिक्षा और अनाधिकृत और अनैतिक कार्यकलापों के विरुद्ध जागरूकता सृजन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान तैयार करने और उसे लॉन्च करने के लिए सेबी, आरबीआई, डीएफएस और उपभोक्ता मामले विभाग के साथ सचिव, कारपोरेट कार्य की अध्यक्षता में एक संचालन समिति भी गठित कर ली गई है।

6.5.5 सीरियल विकसित करनाः राष्ट्रीय कारपोरेट गवर्नेंस प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) के सहयोग से तैयार किए गए निवेशकों को प्रभावित करने वाले वित्तीय कपटों की कार्य प्रणाली का उल्लेख करते हुए 7–13 अंशों का एक टीवी सीरियल तैयार किया जा रहा है।

निवेशक जागरूकता कार्यकलाप के वास्तविक समय पर निगरानी और मूल्यांकन के लिए आईईपीएफ पोर्टल

6.6.1 आईएपी के विस्तार को बढ़ाने तथा व्यवसायिक संस्थानों, सीएससी ई–गवर्नेंस और अन्य भागीदार संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक नया पोर्टल नामतः www.iepfportal.in तैयार कर लिया गया है। यह पोर्टल भागीदार संस्थाओं जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीओएआई एंड आईआईसीए और सीएससी ई–गवर्नेंस के लिए विगत और भावी कार्यक्रमों का ब्यौरा अपलोड करने हेतु पहुंच प्रदान कर चुका है। यह पोर्टल संसाधन व्यक्तियों के लिए डाटाबेस के रूप में कार्य करता है तथा भागीदारों द्वारा संचालित आईएपीए की ऑनलाइन निगरानी के लिए डाटाबेस प्रदान करता है और आईईपीएफ प्राधिकरण इत्यादि के सभी कार्यकलापों के लिए एक भंडार के रूप में भी कार्य करता है।

6.6.2 यह पोर्टल विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नागरिक संलिप्तता और सूचना प्रसार तथा सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए भी एक मंच के रूप में कार्य

करेगा। आईईपीएफ पोर्टल पर एक तंत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें आम नागरिक किसी संदिग्ध कपटपूर्ण योजना की सूचना दे सकते हैं।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

6.7.1 भारत में कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अनिवार्य किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों और अधिनियम की **अनुसूची–VII** में सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों का उल्लेख है। धारा–135 और संशोधित **अनुसूची–VII** और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 दिनांक 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किए गए थे और 01 अप्रैल, 2014 को लागू हुए।

6.7.2 कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 और अधिनियम की **अनुसूची–VII** में कानून के तहत सीएसआर प्रावधानों को लागू करने हेतु कंपनियों को सुविधा देने के लिए समय–समय पर संशोधन किए गए हैं।

6.7.3 दिनांक 28 मई, 2018 को सं. 06/2018 के जरिए यह स्पष्ट करते हुए एक सामान्य परिपत्र जारी किया गया था कि कंपनी उन स्थानीय क्षेत्रों के आसपास जहां वह प्रचालन में है, कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों के लिए उद्दिष्ट धनराशि खर्च करने के लिए प्राथमिकता देगी।

6.8.1 राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार (एनसीएसआरए) ईमानदारी से और विधि की सही भावना में अपने सीएसआर कार्यक्रमों/परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कारपोरेट जगत को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थापित किए गए थे। प्रचालन रणनीति के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार के लिए एक बड़े निर्णायक मंडल का गठन किया गया है। सरकार ने एनसीएसआरए के लिए 20 पुरस्कार संस्थापित किए हैं। पुरस्कार तीन श्रेणियों में कंपनियों के लिए प्रदान किए जाएंगे और नामांकन के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं :

(i) सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए कारपोरेट पुरस्कार – कुल पात्र सीएसआर खर्च के आधार पर किसी कंपनी के लिए मान्यता (4 पुरस्कार)

(ii) चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों में सीएसआर में कारपोरेट पुरस्कार– चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों, महत्वकांक्षी जिलों, कठिन प्रदेशों/अशांत क्षेत्रों तथा अन्य में अपने सीएसआर प्रयासों के आधार पर किसी कंपनी के लिए मान्यता (5 पुरस्कार)। केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 1 पुरस्कार उद्दिष्ट है।

(iii) कारपोरेट पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता योजनाओं के लिए योगदान के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ताकि इन क्षेत्रों में व्यय करने के लिए कारपोरेट को प्रोत्साहित किया जाता है। (11 पुरस्कार तक)। एमएसएमई के लिए केवल 2 पुरस्कार उद्दिष्ट हैं।

6.8.2 राष्ट्रीय सीएसआर पोर्टल जिसे माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा 19 जनवरी, 2018 को लॉन्च किया गया था, भारत में कंपनियों द्वारा सीएसआर प्रकटीकरण के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका समय समय पर रख–रखा व उन्नयन भी किया जाता है।

6.8.3 मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की **अनुसूची–VII** की पुनरीक्षा करने तथा सीएसआर प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए दिशा–निर्देशों की

पुनरीक्षा करने के लिए आंतरिक विशेषज्ञता समिति गठित की है और दो उपसमितियां नामतः विधिक उप–समिति और तकनीकि उप–समिति आंतरिक विशेषज्ञ समिति की सहायता करने के लिए गठित की गई थी। सीएसआर पर विधिक उप–समिति, तकनीकि उप–समिति और आंतरिक विशेषज्ञ समिति ने क्रमशः दिनांक 24 अप्रैल, 2018, 29 मई, 2018 और 03 जुलाई, 2018 को अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी थीं।

6.8.4 कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर संगत नीति के संबंध में मौजूदा रूप–रेखा की समीक्षा करने और मार्गदर्शन देने तथा रोड मैप तैयार करने के लिए सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति–2018 गठित की गई है। यह समिति अपनी रिपोर्ट अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी। इस उच्चस्तरीय समिति की संरचना और क्षेत्राधिकार का. आ.सं. 12/3/2018–सीएसआर सितंबर, 2018 के जरिए जारी कर दिए गए हैं।

6.8.5 मंत्रालय ने आईआईसीए में सीएसआर पर राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (एनएफसीएसआर) के माध्यम से जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर के प्रावधानों के तहत सीएसआर व्यय और इसके कार्यान्वयन के लिए 100 कंपनियों के विस्तृत अध्ययन और नमूना सर्वेक्षण के लिए एक प्रक्रिया आरंभ की है।

6.8.6 संशोधन विधेयक, 2017 जिसे 03 जनवरी, 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और कंपनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे, को दिनांक 19 सितंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 895(अ) के जरिए अधिसूचित कर दिया गया है

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 में संशोधन
1	उप-धारा (1) में "किसी वित्तीय वर्ष" शब्दों	"तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" द्वारा प्रतिस्थापित
2	उप-धारा (1)	इस परंतुक को समाविष्ट किया जाएगा। "बशर्ते कि जहां किसी कंपनी के लिए धारा 149 की उपधारा (4) के अंतर्गत एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना अपेक्षित नहीं है", उसे अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति में दो अथवा इससे अधिक निदेशक रखना आवश्यक होगा"
3	"अनुसूची-VII में यथानिर्दिष्ट" शब्दों और आंकड़ों के लिए उप-धारा (3)(क) में	द्वारा प्रतिस्थापित "अनुसूची-VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषय में"।
4	उप-धारा (5) में, यह स्पष्टीकरण "औसत निवल लाभ" को धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार परिगणित किया जाएगा	द्वारा प्रस्थापित 'स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनार्थ "निवल लाभ" को ऐसी धनराशि में शामिल नहीं किया जाएगा जिसे निर्धारित किया जाए, और धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार परिगणित किया जाएगा।'

6.8.7 तद्नुसार, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 को संशोधित कर दिया गया है।

6.8.8 मंत्रालय कंपनी अधिनियम की धारा 135/धारा 134(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपने बोर्ड की रिपोर्ट में उनके द्वारा दिए गए अनिवार्य प्रकटीकरणों की जांच के माध्यम से कंपनियों द्वारा सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार ने इस अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर–अनुपालक सीएसआर पात्र कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की थी जिसके लिए मंत्रालय ने 284 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी थी जिसमें से 33 मामलों के संबंध में सीएसआर गैर–अनुपालन से संबंधित कंपनियों द्वारा प्रशमन दायर किए गए हैं।

6.8.9 एकरूपता, पारदर्शिता, सुगमता तथा सीएसआर प्रावधानों के प्रवर्तन में अपेक्षाकृत अधिक त्वरित गति बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 से आगे दंडात्मक कार्रवाइयों के लिए गैर–अनुपालक कंपनियों की पहचान और संवीक्षा के लिए अप्रैल, 2018 से केंद्रीकृत संवीक्षा और अभियोजन तंत्र (सीएसपीएम), एक अभिवृद्द तंत्र स्थापित किया था। इस तंत्र के अंतर्गत गैर–अनुपालक कंपनियों की एक चरणबद्ध रीति में पहचान और संवीक्षा की जाती है। इससे मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर शीर्ष 1000 कंपनियों की पहचान कर ली है मंत्रालय ने कंपनियों के गैर–अनुपालन पर सूचना मांगने के लिए 298 कंपनियों के लिए जांच पत्र जारी कर दिए हैं।

6.8.10 अद्यतन एनवीजी की बीआरआर रूप–रेखा पर सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों के आधार पर व्यवसाय दायित्व रिपोर्टिंग (बीआरआर) प्रपत्र को अंतिम रूप देने के लिए, दिनांक 14 नवंबर, 2018 की फाइल संख्या 10/19/2018–सीएसआर (खंड फाइल–2) के जरिए संयुक्त सचिव, सीएसआर, एमसीए की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है। यह समिति अपनी प्रथम बैठक की तिथि से छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6.8.11 वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए एमसीए–21 रजिस्ट्री में 30 जून, 2018 तक कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग से निकाले गए डाटा के अनुसार, सीएसआर पर ऐसी कंपनियों द्वारा किया गया व्यय निम्न **तालिका 6.4** में दिया गया है :

तालिका 6.4

वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान सीएसआर व्यय

(करोड़ में)

क्रम संख्या	कंपनी का प्रकार	वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17	
		सीएसआर व्यय रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय	सीएसआर व्यय रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय
1	पीएसयू	438	4175	372	3242
2	अन्य कंपनियां	21,060	10,190	19,561	10,222
कुल		**21,498**	**14,365**	**19,933**	**13,464**

6.8.12 तालिका 6.5 में वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान विभिन्न विकास क्षेत्रों पर सीएसआर व्यय संबंधी सूचना उपलब्ध है:

तालिका 6.5
वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान कंपनियों की संख्या और सीएसआर विवरण

क्र.सं.	सीएसआर व्यय	पीएसयू और गैर-पीएसयू	2015-16	2016-17#
i.	जैसा कि निर्धारित है	गैर-पीएसयू	388	569
		पीएसयू	8	5
ii	निर्धारित से कम	गैर-पीएसयू	6,659	5,812
		पीएसयू	153	142
iii	निर्धारित से अधिक	गैर-पीएसयू	3,589	3,820
		पीएसयू	138	117
iv	शून्य व्यय	गैर-पीएसयू	10,424	9,360
		पीएसयू	139	108
कुल			**21,498**	**19,933**

टिप्पण: 1. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रदान की गई संख्याएं अनंतिम हैं।
2. यह एक गतिशील डाटा है और यह की गई फाइलिंग के अनुसार परिवर्तित होता है।
3. उक्त आंकड़े सीएसआर डाटा पोर्टल आधारित हैं।

6.8.13 वित्त वर्ष वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित **तालिका 6.6** में दिया गया है।

तालिका 6.6
वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2016–17 में राज्य/संघ क्षेत्र–वार सीएसआर व्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2015–16	2016–17
1	अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह	0.55	0.83
2	आन्ध्र प्रदेश	1,241.98	729.95
3	अरुणाचल प्रदेश	1.48	23.61
4	असम	167.47	268.88
5	बिहार	108.67	94.40
6	चंडीगढ़	5.13	23.80
7	छत्तीसगढ़	237.95	77.88
8	दादरा एवं नगर हवेली	12.03	5.13
9	दमन एवं दीव	2.13	2.63
10	दिल्ली	479.14	478.61
11	गोवा	30.53	34.96

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	2015–16	2016–17
12	गुजरात	559.15	779.86
13	हरियाणा	367.34	346.55
14	हिमाचल प्रदेश	52.36	16.41
15	जम्मू और कश्मीर	103.03	41.04
16	झारखंड	118.17	94.62
17	कर्नाटक	778.89	843.48
18	केरल	143.88	117.51
19	लक्षद्वीप	0.30	–
20	मध्य प्रदेश	183.27	282.04
21	महाराष्ट्र	2,013.02	2,222.20
22	मणिपुर	6.28	11.72
23	मेघालय	5.63	7.55
24	मिजोरम	1.07	0.08
25	नागालैंड	0.96	0.92
26	एनईसी / उल्लिखित नहीं	–	6.72
27	ओडिशा	618.91	311.95
28	पुदुचेरी	6.35	7.48
29	पंजाब	69.05	67.18
30	राजस्थान	493.96	318.89
31	सिक्किम	1.89	4.87
32	तमिलनाडु	615.71	470.51
33	तेलंगाना	254.02	221.27
34	त्रिपुरा	1.47	1.25
35	उत्तर प्रदेश	417.13	312.72
36	उत्तराखंड	72.42	94.65
37	पश्चिम बंगाल	411.71	274.71
38	समस्त भारत*	4,783.26	4,867.45
	कुल योग	**14,366.29**	**13,464.30**

*कंपनियों ने या तो राज्यों का नाम नहीं बताया है या एक से अधिक राज्य का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गईं। कंपनियों द्वारा ई–प्ररुप एओसी–4 में दिये प्रकटीकरण के आधार पर।

6.8.14 तालिका 6.7 में वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान विभिन्न विकास क्षेत्रों पर सीएसआर व्यय संबंधी सूचना उपलब्ध है:

तालिका 6.7

वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान विकास क्षेत्र–वार सीएसआर व्यय

क्रम संख्या	क्षेत्र	2015 -16	2016 -17
1	स्वास्थ्य/भूखमरी निवारण, गरीबी और कुपोषण/स्वच्छ पेयजल/स्वच्छता	4,545.00	3,396.88
2	शिक्षा/दिव्यांगजन/जीविका	4,881.26	5,123.66
3	ग्रामीण विकास परियोजना	1,427.14	1550.24
4	पर्यावरण/पशु कल्याण/उपकरणों का संरक्षण	905.62	1239.52
5	स्वच्छ भारत कोष	324.73	165.09
6	अन्य कोई कोष	326.89	412.4
7	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/असमानता कम करना	337.45	434.78
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	213 .7	150.71
9	खेलकूद को बढावा देना	137.58	172.56
10	विरासत, कला और संस्कृति	117.58	296.86
11	स्लम विकास	14.31	49.8
12	निर्मल गंगा कोष	32.65	24.23
13	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूवेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च और अन्य**)	1,102.38	447.57
	कुल राशि (करोड़ में)	**14,366.29**	**13,464.30**

** **विनिर्दिष्ट नहीं है।**

कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)

6.9.1 कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) वित्तीय वर्ष 2015–16 में मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम है। इसमें मंत्रालय में डाटा माइनिंग एवं विश्लेषणात्मक सुविधा के सृजन पर विचार किया गया है ताकि कारपोरेट सेक्टर डाटा का व्यवस्थित तरीके से प्रसार किया जा सके। यह व्यवहार प्रणाली को डाटा वेयरहाउस प्रणाली में बदलने हेतु एमसीए21 द्वारा डिपाजिटरी को अग्रिम कड़ी प्रदान करता है। सीडीएम के उद्देश्यों में शामिल है (क) साझा करने योग्य जानकारी का इकाई स्तर प्ररूप और तालिका प्ररूपों में प्रसार करना, (ख) अनुकूलित सूचना को नीति निर्माण और एमसीए के विनियमन उद्देश्यों और साथ ही साथ अन्य सरकारी विभागों के साथ साझा करना और (ग) मंत्रालय की आंतरिक एवं संस्थागत क्षमताओं को कारपोरेट डाटा माइनिंग एवं सूचना प्रबंधन को बढाना जिससे निर्णय क्षमता में सहायता मिले।

6.9.2 इस परियोजना में भारतीय कारपोरेट सैक्टर निष्पादन पर विभिन्न सांख्यिकी प्रतिवेदन जैसे कि सीरीज डाटा, क्रास सेक्शन डाटा, पैनल डाटा इत्यादि तैयार करने पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अनुपालना एवं नियमन पर निगरानी की सुविधा की परिकल्पना की गई है।

6.9.3 वर्ष 2006–07 से 30 जून, 2018 तक कंपनियों की वार्षिक सांविधिक फाइलिंग (इलेक्ट्रॉनिक मोड में) सीडीएम वेयरहाउस डाटा बेस में लोड कर दी गई है।

आरएंडए प्रभाग

6.10.1 आरएंडए प्रभाग कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) योजना के अंतर्गत "अनुसंधान और अध्यन, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों इत्यादि के वित्त पोषण" को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी है। सीडीएम योजना के इस घटक का ब्यौरा एमसीए की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध है। ऐसे कुछ विषय जिन पर अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं :

क) एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) का कार्य निष्पादन;

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की प्रभावकारिता जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के अंतर्गत अंतर्विष्ट कंपनी;

ग) निवेशक संरक्षण और निवेशक शिक्षा की प्रभावकारिता;

घ) कारपोरेट्स का कार्य निष्पादन (राज्यों, सेक्टर और आकार इत्यादि में);

ङ) प्रतिस्पर्धा विधि और व्यवहार की प्रभावकारिता;

च) करपोरेट ऋण संरचना और उसका लाभ उठाना;

छ) आईपीओ इत्यादि के माध्यम से कारपोरेट्स द्वारा जुटाई गई निधियों के उपयोग का विश्लेषण;

ज) ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस : ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सूची के भीतर उप सूचियां जो सीधे कारपोरेट क्षेत्र अर्थात् (i) कोई व्यवसाय आरंभ करना, (ii) अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण करना और (iii) दिवाला समाधान; से संबंधित हैं।

झ) भारत में उत्पादक कंपनियों के उभरने से संबंधित मुद्दे।

6.10.2 इस प्रकार के सभी अनुसंधान प्रस्तावों पर आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में तकनीकि समिति द्वारा विचार किया जाता है जो उन पर विचार करती है तथा तद्नुसार अनुमोदन के लिए सिफारिश करती है सीडीएम योजनागत योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए वर्ष 2017 और 2018 के दौरान कुल 14 अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

6.10.3 मंत्रालय के हित के विभिन्न विषयों पर इस अवधि के दौरान तीन अनुसंधान अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। इनमें शामिल हैं : (i) भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में ऋण दबाव का मुल्यांकन, (ii) कारपोरेट गवर्नेंस तंत्रों पर सीएसआर प्रकटीकरण का प्रभाव मूल्यांकन, (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर कार्यान्वयन पर रचनात्मक अनुसंधानः कवरेज और उभरते हुए मुद्दे।

6.10.4 आंतरिक अनुसंधान के लिए युवा व्यवसायिकों के एक दल को भी लगाया गया है। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों (कारपोरेट्स और बैंकों की जुड़वां तुलन–पत्र समस्या) और सार्वजनिक जमाओं पर अनुसंधान लेख पहले ही तैयार कर लिए गए हैं कुछ

और अधिक अनुसंधान लेख नीतिगत निर्णय और परिवर्तन करने के लिए मंत्रालय को अनुसंधान इनपुट प्रदान करने में सहायता करने के लिए एक जारी कवायद के रूप में भविष्य में आर एंड ए प्रभाग में उनकी सहायता के साथ तैयार किए जाएंगे।

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान

6.11.1 राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) की स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीसीआई), और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से एक न्यास के रूप में की गई थी, तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (अब भारतीय लागत लेखाकार संस्थान), राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन्एसई) तथा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को भी एनएफसीजी में सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

6.11.2 प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य सुस्थायी संपदा सृजन के प्रमुख कारक के रूप में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के मध्य अच्छे कारपोरेट शासन को बढ़ावा देना है। एनएफसीजी की शासी परिषद कारपोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में निर्णय निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर कार्य करता है।

6.11.3 एनएफसीजी के तत्वाधान में संचालित कार्यकलापों में कारपोरेट शासन, भारतीय कंपनियों में कारपोरेट शासन पर अनुसंधान कार्यकलाप, आदि से संबंधित विषयों पर सेमीनार और सम्मेलन शामिल हैं। एनएफसीजी राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट शासन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में भी कार्य करता है और दुनिया भर के समान संगठनों के संपर्क में रहता है।

6.11.4 01 दिसंबर, 2017 से 30 नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान एनएफसीजी या उसके भागीदार और एनएफसीजी के तत्वाधान के अंतर्गत मान्य संस्थानों द्वारा कारपोरेट शासन 21 सेमिनार / अभिमुखी कार्यक्रम और 3 अनुसंधान कार्य (और संबंधित विषय) आयोजित किए गए हैं।

सतर्कता

6.12.1 सतर्कता विंग मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करता है, भ्रष्टाचार में तथाकथित रूप से संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करता है। सतर्कता दृष्टिकोण और प्रशासनिक दृष्टिकोण जैसे निलंबन, नियमित विभागीय कार्रवाई, अभियोजन के संस्वीकृति, न्यायालय मामले इत्यादि से संबंधित विभिन्न अनुशासनात्मक मामलों को निपटाता है यह मौजूदा क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाने के लिए भी प्रयास करता है ताकि भ्रष्टाचार के लिए न्यूनतम गुंजाइश हो और सरकारी सेवकों के बीच सत्यनिष्ठा सुनिश्चित हो। इस दिशा में, मंत्रालय के अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध संस्थापित/निष्पादित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर शिकायतों के परिणाम और मामला अध्ययनों पर आधारित विभिन्न अनुदेश, विरोधात्मक सतर्कता के मामले के रूप में ताकि इस मंत्रालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा समान दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोका जा सके, जारी कर दिए गए हैं।

राजभाषा

6.13.1 मंत्रालय में, संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और मंत्रालय के सरकारी कार्यो में हिंदी के प्रभावी प्रयोग की निगरानी के लिए संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) आयोजित की जाती है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से आयोजित की गई है।

6.13.2 राजभाषा अनुभाग, मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में तिमाही प्रगति रिपोर्टों, निरीक्षण और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी दस्तावेजों के अनुवाद के माध्यम से हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त राजभाषा अनुभाग के अधिकारी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लिया और राजभाषा अधिनियम और उसके नियमों के कार्यान्वयन में आवश्यक मार्गदर्शन भी किया।

6.13.3 मंत्रालय में तारीख 01 से 15 सितंबर, 2018 के दौरान मंत्रालय के सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग संबंधी जागरूकता लाने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक कार्य राजभाषा में करने के लिए अपील की। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, टिप्पण एवं आलेखन, अनुवाद और शब्दज्ञान, कविता पाठ, वाद–विवाद और श्रुतलेख आयोजित की गई और इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया, इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और सराहना प्रमाणपत्र दिए गए।

6.13.4 राजभाषा से संबद्ध संसदीय समिति की पहली उप–समिति ने वर्ष के दौरान हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के दो कार्यालयों के निरीक्षण किए थे। इन निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।

6.13.5 हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को राजभाषा के और संवर्धन के लिए समय समय पर राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था।

अवसंरचना अनुभाग

6.14.1 अवसंरचना अनुभाग मंत्रालय के फील्ड कार्यालयों के लिए भूमि अर्जन करके, खरीदी गई भूमि पर भवनों का निर्माण करके, निर्मित कार्यालय स्थल खरीद करके, पुनर्सज्जा करने के लिए इन निर्मित कार्य स्थलों के जीर्णोद्धार और सज्जा करके अवसंरचना प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। 01 दिसंबर, 2017 से 30 नवंबर, 2018 तक की अवधि के दौरान अवसंरचना अनुभाग ने निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए हैं:

(क) मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड के माध्यम से आईबीबीआई परिसर – 7वां तल, मयूर भवन, नई दिल्ली का नवीकरण।

(ख) मैसर्स यूटीआईईएसटीएल के माध्यम से कारपोरेट भवन, जयपुर की मरम्मत/जीर्णोद्धार एनसीएलएटी के लिए पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के बी–1, बी–3 और बी–4 विंग के परिसरों का जीर्णोद्धार।

(ग) कोच्चि, कटक और जयपुर स्थित एनसीएलटी पीठों के परिसरों का जीर्णोद्धार।

(घ) मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल के माध्यम से कारपोरेट भवन, जयपुर में जीर्णोद्धार/नवीकरण।

(ङ) मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड के माध्यम से थालतेज, अमहदाबाद स्थित कारपोरेट भवन का निर्माण आरंभ किया।

(च) विजयवाड़ा में आरओसी, आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए विजयवाड़ा में किराये पर लिए गए आवास में जीर्णोद्धार कार्य किया।

(छ) उत्तराखंड में आरओसी की स्थापना के लिए, देहरादून में किराये पर लिए गए आवास में जीर्णोद्धार कार्य किया।

(ज) आरओसी के कार्यालयों के लिए कोयम्बटूर और पुणे में किराये पर लिए गए कार्यस्थलों पर जीर्णोद्धार कार्य किए।

(झ) कारपोरेट भवन, कोलकाता के संबंध में ले–आउट प्लान और प्रारंभिक अनुमान अनुमोदित किए।

नागरिक / ग्राहक चार्टर

6.15.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय एक नियामक मंत्रालय होने के कारण अपने नियामक कार्य करने के लिए नियमित रूप से जनता से संपर्क करता है जो विभिन्न हितधारकों को इसकी सेवाएं देने के रूप में की जाती हैं। मंत्रालय ने एक विस्तृत नागरिक / ग्राहक चार्टर अपनी वेबसाइट पर डाला है। मंत्रालय ने अपने नागरिक चार्टर में सेवाओं / संव्यवहारों / निहित प्रक्रियाओं अपेक्षित दस्तावेजों और लागू शुल्कों की एक विस्तृत सूची दी है। इसमें प्रत्येक सेवा / संव्यवहार के लिए निष्पादन / समय सीमा का मानदंड भी निर्धारित है। यह प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–VI** में संलग्न है।

6.15.2 यदि किसी व्यक्ति को इन सेवाओं की सुपुर्दगी के संबंध में कोई शिकायत है, तो वह **तालिका 6.8** में दिए गए (क) मंत्रालय की लोक शिकायत अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। (ख) इस पोर्टल *http://pgportal.gov.in/* में शिकायत दर्ज करें।

तालिका 6.8
लोक शिकायत अधिकारी

क्र. सं.	शिकायत/कंप्लेंट की प्रकृति	लोक शिकायत अधिकारी का नाम व पता	दूरभाष	ईमेल	मोबाइल नंबर
1	निवेशक शिकयत	श्री आलोक सामंतराय डीजीसीओए कोटा हाऊस एनेक्सी 1, शाहजहाँ रोड़, नई दिल्ली–11	दूरभाष 011–23381226	alok.samantarai@mca.gov.in	9958625118
2	अन्य शिकायतें/कंप्लेंट	श्री ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव, कमरा सं. 513 बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	दूरभाष 23389785 फैक्स 23074212	asholi.chalai@nic.in	9868140630
3	एमसीए21 से संबंधित शिकायतें/कंप्लेंट	श्री आशीष कुशवाहा, निदेशक, कमरा सं. 514 ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	दूरभाष 23070954	ashish.kushwaha@mca.gov.in	9869062255

अनसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व

6.16.1 मंत्रालय में क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशासन अनुभाग I और II के अधीन मुख्यालयों में कार्यरत अनसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, नीचे **तालिका 6.9** में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.9

मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व (नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार)

समूह	पदस्थापित	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	234	116	42	23	53
ख	427	216	91	43	77
ग	312	137	82	28	65
योग	**973**	**469**	**215**	**94**	**195**

निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ

6.17.1.मंत्रालय को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 01 दिसंबर, 2017 से 12 नवंबर, 2018 तक की अवधि के दौरान निवेशकों/जमाकर्ताओं से 7,334 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 12 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल 7,188 शिकायतों का अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा समाधान किया गया।

6.17.2 इसके अतिरिक्त, आईजीएम अनुभाग को 720 ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से 417 शिकायतें अन्य एजेंसियों/मंत्रालयों से संबंधित थीं उन्हें सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग, पूंजी बाजार प्रभाग), राजस्व विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आईआरडीए, लोक उद्यम विभाग आदि और शेष 303 शिकायतें कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित थीं जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए एमसीए के विभिन्न अनुभागों तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों/संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया गया था।

सूचना का अधिकार

6.18.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत एक लोक प्राधिकरण है। मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का अनुपालन करने के उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण अधिनियम के अधीन व्यवस्थाएं की हैं।

6.18.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत उपबंधों की बाध्यताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना अपलोड की गई है जिसमें मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों/प्रकोष्ठों द्वारा निपटाए जाने वाले विषयों का संक्षिप्त उल्लेख है। यह सूचना पब्लिक डोमेन में रखी गई है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रालय के पदाभिहित अधिकारियों को उनके आबंटित कार्य के अलावा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपील प्राधिकारी (एए) के रूप में मनोनीत और घोषित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को लोक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है। केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) जिन्हें डाक विभाग द्वारा उप–संभाग स्तर और उप–जिला स्तर पर नामित किया गया है द्वारा आवेदन अपील प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एमसीए के अधिकतर लोक प्राधिकरण आरटीआई एमआईएस पोर्टल से जुड़े हुए हैं जिससे नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन और अपील करने में सुविधा होती है।

6.18.3 इसी प्रकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय की परिधि के अधीन अन्य लोक प्राधिकरणों जैसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण के कार्यान्वयन की व्यवस्था भी की गई है।

6.18.4 तारीख 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्टूबर, 2018 तक एमसीए (मुख्यालय) में सूचना का अधिकार के अधीन प्राप्त आवेदन और अपीलों की सांख्यिकी का ब्यौरा निम्नलिखित **तालिका 6.10** में दर्शाई गई है।

तालिका 6.10
आरटीआई आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे
(01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्टूबर, 2018 तक)

1.	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	1,973
2.	अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित	929
3.	निर्णय जहां सूचना अनुरोध अस्वीकार किए गए	8
4.	प्राप्त अपीलों की कुल संख्या	131
5.	उन मामलों की संख्या जिनमें इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई	शून्य
6.	उन मामलों की संख्या जहां सीआईसी ने जुर्माना लगाया	शून्य

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का बजट 2018–19 (27 दिसम्बर, 2018 तक)

6.19.1 मंत्रालय की राजस्व प्राप्तियों और व्यय (योजना और गैर–योजना) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं **(तालिका 6.11 और तालिका 6.12)**

तालिका 6.11
राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ में)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (27.12.2018 तक)
2268.18	1871.33	1985.83	2350.01	1617.58

तालिका 6.12
व्यय (योजना और गैर–योजना)

(करोड़ में)

	वास्तविक व्यय 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	वास्तविक व्यय 2017-18 (27.12.2018 तक)
राजस्व	505.63	567.66*	558.98	302.40
पूंजी	20.79	26.50	36.00	25.12
योग	**526.42**	**594.16**	**594.98**	**327.52**

*अनुपूरक मांगों की प्रथम खेप के माध्यम से प्राप्त 0.01 करोड़ का अनुपूरक धनराशि शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

6.20.1 01 दिसंबर, 2017 से 01 नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग की उपलब्धियां/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

i) 2014 में संपन्न समझौता ज्ञापन (एमओयू) का कार्योत्तर अनुमोदन तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) और सऊदी अरब के प्रमाणित लोक लेखा सऊदी संगठन (एसओसीपीए) के बीच एमओयू के नवीकरण के लिए अनुमोदन 04 जुलाई, 2018 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान कर दिया गया था।

ii) 18 जुलाई, 2018 को मंत्रिमंडल द्वारा आईसीएआई और राष्ट्रीय लेखाकार और लेखापरीक्षक बोर्ड (एनबीएए), तंजानिया के बीच एमओयू अनुमोदित किया था।

iii) 2010 में संपन्न परस्पर मान्यता करार (एमआरए) का कार्योत्तर अनुमोदन तथा 18 जुलाई, 2018 को मंत्रिमंडल द्वारा आईसीएआई और प्रमाणित लोक लेखा संस्थान (सीपीए आयरलैंड) के बीच नए एमआरए के लिए अनुमोदन दिया गया था।

iv) आईसीएआई और बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (बीआईबीएफ), बहरीन के बीच एमओयू 18 जुलाई, 2018 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

v) आईसीएआई और प्रमाणित लोक लेखा संस्थान, केन्या (आईसीईएके) के बीच एमओयू 26 सितंबर, 2018 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया था।

vi) आईसीएआई और प्रमाणित व्यवसायिक लेखाकार अफगानिस्तान (सीपीए) अफगानिस्तान के बीच एमओयू 24 अक्तूबर, 2018 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया था।

प्रतिस्पर्धा अनुभाग

6.21.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 01 जून, 2018 के आदेश सं. सीओएमपी–07/10/2017–सीओएमपी–एमसीए के जरिए श्री रमेश

अभिषेक, सचिव, औद्योग नीति और संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में सात अन्य मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधित्व से 'मौजूदा नीतियों का प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन' निष्पादित करने के लिए एक अंतर–मंत्रालय समिति गठित की है। इस समिति का मुख्य ध्यान हाल ही विगत में तैयार किए गए चुनिंदा अधिनियमों/नियमों/नीतियों/विनियमों तथा प्रतिस्पर्धा रोधी पहलुओं के मुद्दों की जांच करने के लिए कुछ आगामी अधिनियमों की समीक्षा करना है और विधि में किन्ही प्रतिबंधों/प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करना है जो प्रतिस्पर्धा के लिए अत्यधिक चुनौती उत्पन्न करते हैं। इस समिति का कार्यकाल अनेक विभागों/संस्थाओं/मंत्रालयों इत्यादि से प्राप्त इनपुटों पर अंतिम चर्चा के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है।

6.21.2 यह सुनिश्चित करने के लिए इसके उद्देश्यों के अनुसरण कि विधान सुदृढ़ आर्थिक मूल सिद्धांतों की आवश्यकता के अनुरूप है, सरकार ने दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 के अपने आदेश संख्या 5/9/2017–सीएस के जरिए एक प्रतिस्पर्धा विधि समीक्षा समिति गठित की थी। इस समिति की प्रमुख कार्यसूची परिवर्तनशील व्यवसाय वातावरण के आलोक में प्रतिस्पर्धा अधिनियम/नियमों/विनियमों की समीक्षा करना और उनमें आवश्यक परिवर्तन लाना है। इस समिति का कार्यकाल तीन माह अर्थात् 31 जनवरी, 2019 तक है।

6.21.3 मालवाहक जहाजों की इष्टतम क्षमताओं का उपयोग करने तथा प्रचालनात्मक लागत को घटाने के लिए नौवहन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने 04 जुलाई, 2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों से यात्री पोत नौवहन उद्योग के जहाज साझा करने संबंधी करार की छूट दी है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

6.22.1 सरकार ने अधिसूचना संख्या 5099(अ) के जरिए दिनांक 01 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) गठित किया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अनुसरण में, सरकार ने इस प्राधिकरण में अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (2) और (4) के अंतर्गत सरकार ने दिनांक 13 नवंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1111(अ) के जरिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 अधिसूचित किए हैं।

अनुलग्नक

(I-VI)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठन चार्ट

श्री अरूण जेटली मंत्री
श्री पी. पी. चौधरी राज्य मंत्री
श्री इंजेटी श्रीनिवास सचिव

श्री आलोक सामंत राय महानिदेशक कारपोरेट कार्य	श्रीमती अंजली भावड़ा अपर सचिव								
डीआईआई (एसबीजी): **एस.बी. गौतम** **डीआईआई (वीकेके): वी.के. खूबचंदानी** संयु.नि.(एसएस): संजय शौरी संयु.नि(एसके): संतोष कुमार संयु.नि.(यूकेएस) यू.के. साहू संयु.नि. (एमआरडी): मा.रा. दास अ.स.(पीएमम) : पूर्णिमा मलिक उ.नि. (एकेएस): ए. के. सेठी अ.स.(एमकेएस): मनीष कुमार सहाय उ.नि.(ईएन) ई. नागाचन्द्रन उ.नि.(एसवी): शेठ व्योमेश अ.अ.(आईजीएम): एस. पदमा राय अ.अ.(सीएल.II): बिक्रम मुंडा	**संयुक्त सचिव (के)** **श्री के.वी.आर. मूर्ति** संयु.नि.(एनकेडी): एन.के. दुआ संयु.नि.(एसपी):श्रीधर पमार्थि उ.स.(एपी): अभिजीत फूकोन उ.नि.(सीके): चंदन कुमार उ.नि.(पीसी): प्रणय चतुर्वेदी उ.नि.(एएस): आत्मा साहा स.नि.(एबी):अनिमेष बोस स.नि.(केएमएस): केएमएस नारायणन अ.स.(आरके): राकेश कुमार अ.अ.(काम्प): एच.एन. हेडाऊ	**संयुक्त सचिव (एसी)** **श्री ए. अशोली चलाई** निदेशक(बीपीपी) बी.पी.पंत निदेशक(जेएसए) जे एस औधखासी संयु.नि.(रा.भा.) डा. आर रमेश आर्य अ.स.(टीएस): थरविंदर सिंह अ.स.(एचवी): हेमंत वर्मा अ.स.(एनडी): नीलरत्न दास अ.अ.(सामान्य): सुषमा शर्मा अ.अ.(आरएंडआई): सुषमा शर्मा अ.अ.(इंफ्रा): आर. राजाराम अ.अ.(संसद): राजेन्द्र कुमार अ.अ.(समन्वय): पारितोष भाटिया अ.अ. एंड डीडीओ: दीन दयाल सिंह	**संयुक्त सचिव(जी)** **जी. के. सिंह** निदेशक(ए.एस.एम) ए.एस. मीणा निदेशक(जेएसए) जेएस औधखासी उ.स.(वीके) विवेक कुमार निदेशक(बीपीपी): बी.पी. पंत उ.स.(जीवी): जी. वैधीशवरण अ.स.(आरएच): रियाजुल हक अ.स.(एबी): अनिल बंडूला अ.स.(टीएस): थरविंदर सिंह अ.स.(एसकेवी): एस.के. वशिष्ट उ.नि.(एसआर): सीमा रथ उ.नि.(वाईसी): योगिनी चौहान स.नि.(वीओ): वेदांत ओझा स.नि.(एएम): अपर्णा मुडियम स.नि.(सीएल.VII): श्री गौरव अ.अ.(प्रशा.I): बिन्दु पिल्लै अ.अ.(प्रशा.IV): सुरजीत साहा अ.अ.(सीएसआर): समीक्षा लांबा अ.अ.(आईएनएस): सुषमा शर्मा	**संयुक्त सचिव(ए)** **अनुराग अग्रवाल** संयु.नि.(एसआरडी): शशि राज दारा निदेशक(एके): आशिष कुशवाहा निदे.(आरटी) राकेश त्यागी उ.स.(जीवी): जी. वैधीश्वरण अ.स.(टीएस): थरविंदर सिंह अ.स.(एनडी): नीलरत्न दास अ.स.(आरके): राकेश कुमार अ.स.(आरवी): रवि वजीरानी अ.स.(एमकेएस): मनीष कुमार सहाय उ.नि.(एजेपी): ए जे प्यारेलाल अ.अ.(ई-गव): शशि लेखरा अ.अ.(आईसी): एस.वी. राजगोपाल अ.अ.(पीआई): एल. थंगराजन अ.अ.(आईआईसीए): एन.के. बजाज अ.अ.(प्रशा.II): कल्लू राम अ.अ.(प्रशा.III): एस.सी. नूनवाल	**एएस एंड एफए** **राजीव बंसल** **सी**सीए: एस.एस. सागर नि. (एसके): सुषमा कटारिया अ.स. (एकेवी): अशोक कुमार विजय अ.अ. (आईएफडी): अन्ना कूंज्जू मैथ्यू अ.अ. (बजट): अमितेष रॉय	**आर्थिक सलाहकार** **डॉ. मोहन चुटानी** निदे.: रिक्त संयु.नि.(पीसीजी) पी.सी. गुरूव्वैया उ.नि.(यूके) ऊषा कुमार स.नि.(डीएएस) दिव्या शर्मा स.नि. (एएस): अक्षय सिंह	**सलाहकार (लागत)** **देवेन्द्र कुमार** निदेशक - (केकेएम) के. के. महावर निदेशक (एमके): मनमोहन कौर उ.नि.(आरजे): आर. जेगन स.नि.(एसएस): सुनील साहू स.नि. (एसबी) सौरभ बंसल स.नि. (पीएस): प्रियंका सचदेवा	**डीडीजी** **गीता सिंह राठौर** स.नि.(एमजे): मनीष जून अ.अ.(आरकेबी): आर.के. बागरी

मुख्य सतर्कता अधिकारी : ज्ञानेश्वर कुमार सिंह,
वेब मास्टर: आशीष कुशवाहा, निदेशक
कल्याण अधिकारी: थरविंदर सिंह, अवर सचिव

30 नवम्बर, 2017 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अधिसूचित पदाभिहित विशेष न्यायालयों की सूची

क्र.सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	अपर विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू और श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर राज्य
2	सिटी सिविल और सत्र न्यायालय, वृहद मुम्बई के न्यायालय सं. 37 और 58 के पीठासीन अधिकारी	महाराष्ट्र राज्य
3	सिलवासा में संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली का प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय	संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव
4	जिला न्यायाधीश–1 न्यायालय और अपर सत्र न्यायाधीश पणजी	गोवा राज्य
5	मिरजापुर, अहमदाबाद में स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, अहमदाबाद (ग्रामीण)	गुजरात राज्य
6	नवां अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 9, 3 ग्वालियर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
7	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
8	द्वितीय विशेष न्यायालय कोलकाता	पश्चिम बंगाल राज्य
9	अपर सत्र न्यायाधीश–03 का न्यायालय, दक्षिण–पश्चिम जिला द्वारका	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
10	सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य
11	विशेष न्यायाधीश का न्यायालय (सती निवारण), जयपुर	राजस्थान राज्य
12	सत्र न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा अतिरिक्त सत्र न्यायालय एसएएस नगर	पंजाब राज्य

क्र.सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार
1	2	3
13	सत्र न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव	हरियाणा राज्य
14	सत्र न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा अपर सत्र न्यायालय, चंडीगढ़	संघ शासित प्रदेश चंडीगढ
15	पहला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोयम्बटूर	कोयम्बटूर, धरमापुरी डिण्डीगुल, ईरोड, कृष्णागिरी, नामक्कल, नीलगिरी, सलेम और तिरूपुर जिले
16	दूसरा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पुदुचेरी	संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी
17	सत्र न्यायालय, इम्फाल पूर्व	मणिपुर राजय
18	जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, शिलांग	मेघालय राज्य
19	आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय एवं VIII अपर मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश न्यायालय एवं–XXII अपर मुख्य न्यायाधीश, जिला सिविल न्यायालय हैदराबाद	तेलंगाना राज्य
20	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय IV एवं II अपर मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश राज्य
21	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, पटना	बिहार राज्य
22	XV अपर न्यायालय, XVI जिला सिटी सिविल न्यायालय का न्यायालय, चेन्नई	कोयम्बटूर, धरमापुरी डिण्डीगुल, ईरोड, कृष्णागिरी, नामक्कल, नीलगिरी, सलेम और तिरूपुर जिलों को छोड़कर तमिलनाडु राज्य
23	LIX अपर शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु शहर	कर्नाटक राज्य
24	अपर जिला और सत्र न्यायालय VII, एर्नाकुलम	केरल राज्य
25	जिला और सत्र न्यायालय, कवारट्टी	जिला एवं सत्र न्यायालय, कवारट्टी
26	जिला और सत्र न्यायाधीश, कटक	ओडिशा राज्य
27	अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, संख्या 1, कामरूप (एम), गुवाहाटी	असम राज्य

क्र.सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार
1	2	3
28	9वां अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर अदालत	उत्तर प्रदेश राज्य
29	कोहिमा जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय	नागालैंड राज्य
30	आईजोल जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय	मिज़ोरम राज्य
31	पश्चिम सत्र डिवीजन, यूपिया	अरुणाचल प्रदेश राज्य

अधिसूचनाएं
अधिसूचना (01 दिसम्बर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018)

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख	विषय
1	का.आ.सं. 3804(अ)	04.12.2017	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन दो या उससे अधिक वर्षों के कारावास दंड वाले अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश की सहमति से कर्नाटक राज्य के लिए विशेष न्यायालय पदाभिहित करना।
2	सा.का.नि.सं. 1480(अ)	04.12.2017	कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रासरणीय कारबार रिपोर्टिंग भाषा में फाइल करना) नियम, 2015
3	सा.का.नि.सं. 1498(अ)	07.12.2017	कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2017
4	सा.का.नि.सं. 1526(अ)	20.12.2017	कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 2017
5	सा.का.नि.सं. 48(अ)	20.01.2018	कंपनी (कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और शुल्क) नियम, 2014
6	सा.का.नि.सं. 49(अ)	20.01.2018	कंपनी (निगमन) नियम, 2014
7	सा.का.नि.सं.51(अ)	22.01.2018	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014
8	सा.का.नि.सं.351(अ)	23.01.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा (1) और धारा (4) के उपबंधों को प्रवृत्त किया गया है।
9	का.आ.सं. 528(अ)	05.02.2018	कंपनी (अधिनियम), 2013 के अधीन दो या उससे अधिक वर्षों के लिए कारावास दंड वाले अपराधों की शीघ्र सुनवाई हेतु केरल, ओडिशा, असम राज्य और संघ शासित क्षेत्र लक्ष्यद्वीप के लिए विशेष न्यायालय पदाभिहित करना।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख	विषय
10	का.आ.सं. 529(अ)	05.02.2018	एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें निर्धारित मानदंड को पूरा करने वाली सरकारी कंपनियों को 01.04.2017 से 7 वर्षों के लिए आस्थगित कर आस्तियां/आस्थगित कर देयता की पहचान करने के संबंध में एएस22/इंडएएस12 के उपबंधों से छूट दी गई है।
11	सा.का.नि.सं.155(अ)	09.02.2018	कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017
12	का.आ.630(अ)	09.02.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की 43 धाराओं को प्रवृत्त कर दिया गया है।
13	सा.का.नि.सं. 173(अ)	16.02.2018	कंपनी (रजिस्टर करने के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014
14	सा.का.नि.सं. 174(अ)	16.02.2018	कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014
15	सा.का.नि.सं. 175(अ)	16.02.2018	कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014
16	का.आ.सं. 802(अ)	23.02.2018	एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें रक्षा उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों को खंड रिपोर्टंग के संबंध में संगत लेखांकन मानक की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।
17	सा.का.नि.सं. 191(अ)	27.02.2018	कंपनी (लेखे) नियम, 2014
18	का.आ.सं. 1023(अ)	08.03.2018	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क – एनएसीएएस के संबंध में आईसीएआई, आईसीएसआई और आरबीआई के नामनिर्देशिती।
19	सा.का.नि.सं. 213(अ)	08.03.2018	कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्टिंग भाषा में फाइल करना) नियम, 2015
20	का.आ.सं. 1316(अ)	21.03.2018	एनएफआरए के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव पद के सृजन से संबंधित धारा 132 की उपधारा (3) और (11) के उपबंधों को प्रवृत्त करना।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख	विषय
21	सा.का.नि.सं. 262(अ)	21.03.2018	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियम, 2018
22	सा.का.नि.सं. 284(अ)	23.03.2018	कंपनी (निगमन) नियम, 2014
23	सा.का.नि. 310(अ)	28.03.2018	कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015
24	का.आ. 1465(अ)	02.04.2018	दिनांक 05.02.2018 की अधिसूचना का.आ.सं.529(अ) में संशोधन।
25	सा.का.नि. 362(अ)	10.04.2018	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–I में संशोधन
26	सा.का.नि. 363(अ)	10.04.2018	कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन।
27	का.आ. 1592(अ)	12.04.2018	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (11) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।
28	का.आ. 1710(अ)	23.04.2018	उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विशेष न्यायालय पदाभिहित करना।
29	का.आ. 1833(अ)	07.05.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दृ उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करना।
30	सा.का.नि. 429(अ)	07.05.2018	कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन
31	सा.का.नि. 430(अ)	07.05.2018	कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में संशोधन।
32	सा.का.नि. 431(अ)	07.05.2018	कंपनी (निदेशको की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में संशोधन
33	सा.का.नि. 432(अ)	07.05.2018	कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में संशोधन

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख	विषय
34	सा.का.नि. 433(अ)	07.05.2018	कंपनी (परिभाषा विवरण के विनिर्देश) नियम, 2014 में संशोधन
35	सा.का.नि. 434(अ)	07.05.2018	कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन
36	सा.का.नि. 435(अ)	07.05.2018	कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में संशोधन
37	सा.का.नि. 461(अ)	17.05.2018	दिनांक 07.05.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 432(अ) में संशोधन।
38	का.आ. 2422(अ)	13.06.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के उपबंधों को प्रवृत्त कर दिया गया है।
39	का.आ. 3020(अ)	21.06.2018	"धारा 21 के खंड (पपप) और धारा 22" को "धारा 22" से प्रतिस्थापित करने के माध्यम से शुद्धिपत्र।
40	सा.का.नि. 557(अ)	12.06.2018	सीमित देयता नियम, 2009 में संशोधन
41	सा.का.नि. 558(अ)	13.06.2018	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में संशोधन
42	सा.का.नि. 559(अ)	13.06.2018	कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 में संशोधन
43	सा.का.नि. 560(अ)	13.06.2018	कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में संशोधन
44	सा.का.नि. 561(अ)	13.06.2018	कंपनी (महत्वपूर्ण हितकारी स्वामी) नियम, 2018
45	सा.का.नि. 569(अ)	18.06.2018	कंपनी (लेखें मानक) नियम, 2006 में संशोधन
46	का.आ. 3299(अ)	05.07.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 20 को प्रवृत्त करना।
47	का.आ. 3300(अ)	05.07.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16, 75 और 76 को प्रवृत्त कर दिया गया है।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख	विषय
48	सा.का.नि.616(अ)	05.07.2018	कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में संशोधन
49	सा.का.नि.615(अ)	05.07.2018	कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में संशोधन
50	सा.का.नि.614(अ)	05.07.2018	कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 में संशोधन
51	सा.का.नि.613(अ)	05.07.2018	कंपनी (रजिस्टर करने के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 में संशोधन
52	सा.का.नि.612(अ)	05.07.2018	कंपनी (रजिस्टर करने के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 में संशोधन
53	सा.का.नि.708(अ)	27.07.2018	कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में संशोधन
54	का.आ.3684(अ)	27.07.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 5 और 6 को प्रवृत्त कर दिया गया है।
55	का.आ.725(अ)	31.07.2018	कंपनी (लेखें) नियम, 2014 में संशोधन
56	का.आ.3838(अ)	31.07.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 36 को प्रवृत्त कर दिया गया है।
57	का.आ.3921(अ)	07.08.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 10 को प्रवृत्त कर दिया गया है।
58	सा.का.नि.752(अ)	07.08.2018	कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में संशोधन
59	सा.का.नि.797(अ)	21.08.2018	कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में संशोधन
60	सा.का.नि.798(अ)	21.08.2018	कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में संशोधन

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख	विषय
61	का.आ. 4285(अ)	05.09.2018	नागालैंड, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष न्यायालय पदाभिहित करना।
62	सा.का.नि. 853 (अ)	10.09.2018	कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में संशोधन।
63	का.आ. 4823(अ)	12.09.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 66 से 70 (दोनों शामिल) को प्रवृत्त कर दिया गया है।
64	सा.का.नि. 875(अ)	12.09.2018	कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014
65	का.आ. 4822(अ)	12.09.2018	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V में संशोधन।
66	का.आ. 896(अ)	18.09.2018	सीमित देयता भागीदारी, 2009 में संशोधन
67	का.आ. 895(अ)	19.09.2018	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 37 को प्रवृत्त कर दिया गया है।
68	सा.का.नि.905(अ)	20.09.2018	कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में संशोधन
69	सा.का.नि.903(अ)	20.09.2018	कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन।
70	सा.का.नि.904(अ)	20.09.2018	कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में संशोधन
71	सा.का.नि.925(अ)	25.09.2018	कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 में संशोधन
72	का.आ. 5099(अ)	01.10.2018	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन
73	का.आ. 5098(अ)	01.10.2018	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (1) और (12) को प्रवृत्त कर दिया गया है।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख	विषय
74	सा.का.नि. 1022(अ)	11.10.2018	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में संशोधन।
75	का.आ. 5385(अ)	24.10.2018	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (2), (4), (5), (10), (13), (14) और (15) को प्रवृत्त कर दिया गया है।
76	का.आ. 5457(अ)	26.10.2018	विजयवाड़ा में कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना
77	का.आ. 5458(अ)	26.10.2018	देहरादून में कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालय की स्थापना
78	का.आ. 5459(अ)	26.10.2018	कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 में संशोधन

सामान्य परिपत्र – 01 दिसंबर, 2017 से 31 अक्तूबर, 2018

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	तारीख	विषय
1	15/2017	04.12.2017	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अतिरिक्त शुल्क में छूट और प्ररूप सीआरए.4 को फाइल करने की अंतिम तारीख में विस्तार
2	16/2017	29.12.2017	विलंब की माफी योजना, 2018
3	01/2018	28.03.2018	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन इंडएएस का प्रयोग करते हुए एओसी–4 एक्सबीआरएल ई–प्ररूप को फाइल करने की अंतिम तारीख में विस्तार
4	02/2018	28.03.2018	विलंब की माफी योजना, 2018
5	04/2018	27.04.2018	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन इंडएएस का प्रयोग करते हुए एओसी–4 एक्सबीआरएल ई–प्ररूप को फाइल करने की अंतिम तारीख में विस्तार
6	05/2018	17.05.2018	स्पष्टीकरण–विलंब की माफी योजना, 2018
7	07/2018	06.09.2018	अतिरिक्त शुल्क में छूट और प्ररूप बीईएन–2 को फाइल करने की अंतिम तारीख में विस्तार
8	08/2018	10.09.2018	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बीईएन–1 को फाइल करने में स्पष्टीकरण
9	09/2018	05.10.2018	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन एमजीटी–7 (वार्षिक विवरणिका) और एओसी–4 वित्तीय कथन प्ररूपों को फाइल करने की अंतिम तारीख में विस्तार – केरल राज्य – के संबंध में।
10	10/2018	30.10.2018	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन एमजीटी–7 (वार्षिक विवरणिका) और एओसी–4 (वित्तीय कथन) प्ररूपों को फाइल करने की अंतिम तारीख में विस्तार

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठों की सूची

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	अवस्थिति	न्यायपीठ की क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ (ख) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली न्यायपीठ	ब्लॉक सं. 3 भूतल, 6, 7 और 8 वां तल सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अहमदाबाद न्याय पीठ	आनंद हाउस भूतल, प्रथम और द्वितीय तल, एसजी हाइवे, थालतेज अहमदाबाद–380054	(1) गुजरात राज्य (2) मध्यप्रदेश राज्य (3) दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र (4) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र
3.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद न्याय पीठ	9 वां तल, संगम प्लेस सिविल लाइन्स इलाहाबाद–211001	(1) उत्तर प्रदेश राज्य (2) उत्तराखंड राज्य
4.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अधिकरण, बंगलुरू न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, 12वां तल, रहेजा टावर, एमजी रोड, बंगलुरू–560001	(1) कर्नाटक राज्य
5.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ न्याय पीठ	भूतल कारपोरेट भवन, सैक्टर 27बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160019	(1) हिमाचल प्रदेश राज्य (2) जम्मू–कश्मीर राज्य (3) पंजाब राज्य (4) चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र (5) हरियाणा राज्य
6.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चैन्नई न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, यूटीआई बिल्डिंग तीसरा तल, नं. 29 राजाई सलाई, चैन्नई–600001	(1) तमिलनाडु राज्य (3) पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र

क्र.सं.	न्यायपीठ का नाम	अवस्थिति	न्यायपीठ की क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, गुवाहाटी न्याय पीठ	चौथा तल, पृथ्वी प्लेनेट हनुमान मंदिर के पीछे जीएस रोड, गुवाहटी–781007	(1) अरूणाचल प्रदेश राज्य (2) असम राज्य (3) मणिपुर राज्य (4) मिजोरम राज्य (5) मेघालय राज्य (6) नागालैंड (7) सिक्किम राज्य (8) त्रिपुरा राज्य
8.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद न्याय पीठ	कारपोरेट भवन, बंडलागुड़ा तट्टीअन्नारम गांव हयात नगर मंडल रंगारेड्डी जिला हैदराबाद 500068	(1) आंध्र प्रदेश राज्य (2) तेलंगाना राज्य
9.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता न्याय पीठ	5 ऐस्प्लेनेडरो (पश्चिम) टाउनहाल भूतल और प्रथम तल, कोलकाता–700001	(1) बिहार राज्य (2) झारखंड राज्य (3) पश्चिम बंगाल राज्य (5) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
10.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुबंई न्याय पीठ	6ठा तल, फाउंटेन टेलीकाम बिल्डिंग नं. सेंट्रल टेलीग्राफ के पास, एमजी रोड मुबंई–400001	(1) महाराष्ट्र राज्य (3) गोवा राज्य
11.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण[1], जयपुर न्यायपीठ	कारपोरेट भवन, रेसीडेंसी एरिया, सिविल लाइंस, जयपुर–302001	(1) राजस्थान राज्य
12.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कटक न्यायपीठ[2]	कारपोरेट भवन, सीडीए, सैक्टर–1, कटक–753014	(1) ओडिशा राज्य (2) छत्तीसगढ राज्य
13.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोच्चि न्यायपीठ[3]	कुनमपुरम, वजक्कला, कोच्चि, केरल–682021	(1) केरल राज्य (2) संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप

[1]दिनांक 28 जून, 2018 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ.3145(अ)
[2]दिनांक 12 जुलाई, 2018 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ.3430(अ)
[3]दिनांक 27 जुलाई, 2018 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ.3683(अ)

नागरिक / ग्राहक चार्टर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

क्र.सं.	हमारी सेवाएं / कार्य संपादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
1.	नई कंपनियों के लिए नामों की उपलब्धता	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
2.	किसी कंपनी का निगमन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन की सूचना देने तथा निगमन प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
3	गैर पंजीकृत कंपनी का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण–प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
4	भारत के बाहर निगमित कंपनी द्वारा भारत में व्यापार स्थल का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
5.	कंपनी के नाम में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस

क्र.सं.	हमारी सेवाएं/कार्य संपादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
6.	कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
7.	निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
8	असीमित कंपनी का सीमित कंपनी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
9	आईपीओ या एफपीओ को जारी करने से पूर्व विवरणिका का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पावती जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
10	प्रभार सृजन/संशोधन/संतुष्टि का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस

क्र.सं.	हमारी सेवाएं / कार्य संपादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
11.	प्रभार सृजन / संशोधन / संतुष्टि दाखिल करने में हुई देरी के लिए माफी	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने और पूछताछ करने और स्पष्टीकरण में लगने वाला अधिकतम समय	20 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित प्रादेशिक निदेशक द्वारा माफी संबंधी आदेश जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	10 कार्य दिवस
12.	वार्षिक सामान्य बैठक कराने की समय–सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	5 कार्य दिवस
		अनुमोदन की प्राप्ति पर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
13	न्यायालय या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक के आदेश का पंजीकरण	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत पूरे किये गए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को लाइसेंस में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
14	किसी कंपनी के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	4 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत पूरे किये गए आवेदन की प्राप्ति पर दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
15	निदेशक पहचान संख्या (डिन) जारी करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर (डिन) की मंजूरी देने वाला अनुमोदन पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस

क्र.सं.	हमारी सेवाएं / कार्य संपादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
16	डीआईएन ब्यौरे में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर (डिन) के बदलाव के लिए पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	1 कार्य दिवस
17.	कंपनी का एलएलपी में परिवर्तन	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
18	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	45 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के बदलाव की पुष्टि करने वाले आदेश को जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
19	एक ही राज्य के भीतर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक कंपनी रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में स्थानांतरित करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	45 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के बदलाव की पुष्टि करने वाले आदेश को जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस

क्र.सं.	हमारी सेवाएं / कार्य संपादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
20	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्रदान करना	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	5 कार्य दिवस
		अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को लाईसेसं देने के लिए लगने वाला अधिकतम समय	2 कार्य दिवस
21	प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति (धारा 196)	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
		सभी प्रकार से पूरे किए गए आवेदन की प्राप्ति पर अनुमोदन सूचित करने के लिए लगने वाला अधिकतम समय	30 कार्य दिवस
22	निवेशक शिकायत निवारण / सीपीजीआर एएमएस	शिकायत की तारीख की प्राप्ति से निपटान करने में लगने वाला समय	30 कार्य दिवस
23	एमसीए 21 संबंधी अन्य शिकायतें	शिकायत की तारीख की प्राप्ति से निपटान करने में लगने वाला समय	30 कार्य दिवस
24	धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी के रूप में कंपनी की स्थिति की मांग करने के लिए आवेदन	प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला समय	2 कार्य दिवस
25	धारा 455 के तहत सक्रिय कंपनी के रूप में कंपनी की स्थिति की मांग करने के लिए आवेदन	प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला समय	2 कार्य दिवस

क्र.सं.	हमारी सेवाएं / कार्य संपादन	इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका	हमारे सेवा मानक
26	प्राप्तकर्ता / प्रबंधक की नियुक्ति के बारे में सूचना का पंजीकरण (धारा 84(1))	प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	3 कार्य दिवस
		प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला समय	2 कार्य दिवस
27	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460 के तहत विलम्ब के लिए माफी	आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय	15 कार्य दिवस
		सीजी द्वारा अनुमोदन जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय	30 कार्य दिवस

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

Designed & Printed by Kamal Printers
Ph.: 9810622239, 9810576865